

विधि विमर्श

द्विभाषीय मासिक पत्रिका



₹ 35/-

लोक न्याय की अग्रणी कानूनी पत्रिका

Year : 6 | Issue : 5 | March-April 2026

VIDHI VIMARSH

भारतीय बैंकिंग कानून (Indian Banking Law): उद्देश्य, संरचना, चुनौतियाँ और मानवीय दृष्टिकोण

From Mis-selling to Misunderstanding:

Banking Challenges for
Home Loan Borrowers

The Rights of a Loan Defaulter:

A Comprehensive Legal Guide



अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति



धर्मनाथ प्रसाद यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उपाध्यक्ष
बिहार स्टेट बार कौंसिल, पटना



सत्यप्रकाश तिवारी
राष्ट्रीय महासंघी



राज कुमार राजेश
संगठन संघी



रणविजय सिंह
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

भारतवर्ष में संगठन विस्तार हेतु
ऊर्जावान अधिवक्ताओं को आमंत्रण

अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
संयुक्त सचिव, एडवोकेटस एसोसिएशन
मो0 - 9334612716, 9801111138

Website : www.adhivaktakalyansamiti.com

कार्यालय - चैम्बर नं0 165, द्वितीय तल, बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन, पटना



BIHAR INSTITUTE OF LAW

ASHIANA MORE, RAJA BAZAR, PILLAR NO. 36, BAILEY ROAD, PATNA - 800014

Permanent Affiliated By Patliputra University, PATNA
and Recognised By The Bar Council of India, NEW DELHI and Govt. of Bihar

Exclusive Law Educational Campus in the State of Bihar with latest facilities.



ADMISSION OPEN FOR

LL.M

2 Years Course

LL.B

3 Years Course

BA.LL.B

5 Years Course



DR. ARUN SHRIVASTAVA
DIRECTOR

Dr. Arun Shrivastava
Director (Academic)



DR. FARHAT JABEEN
PROF. INCHARGE

Special Features

Running in the Guidance of Dr. Arun Shrivastava, Director

- Well Qualified Principal
- Best Professors in law subjects (Ph.D. & NET Qualified)
- Complete AC Class Room
- Well Maintained AC Library with update Law Journal, Text/ Reference Books
- Boy's / Girls Separate Room
- Best Moot Court Room
- NSS wing.
- Free legal Aid/First Aid Clinic
- Well Maintained Office with Cultured employee
- Wi-Fi Campus & total Computerised office
- Separate Block for LL.M
- Well maintain conference Hall, Seminar Hall
- 24 x 7 Legal Library will be function shortly.



DR. AMRITA
PRINCIPAL

STUDENT Credit Card
Accepted here

www.biharinstituteoflaw.com | bilpatna@gmail.com
9525650318 | 7079750318 | 9934627940
Follow us on FB : Bil Patna | Instagram : thebilpatna

अपील

मान्यवर,

हम 'विधि-विमर्श' पत्रिका के माध्यम से विधिक जागरूकता कर जनचेतना विकसित करना चाहते हैं, ताकि पूर्ण दायित्वबोध के साथ आम नागरिक, देश, राज्य और समाज के सकारात्मक विकास में अपनी भूमिका निभा सके तथा जनहितकारी मुद्दों और नीतियों को लागू करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सके।

किसी भी देश, राज्य और समाज की पहचान उसके सजग नागरिकों से होती है और समग्रता से नागरिकों की भूमिका ही विकास की धारा को तीव्रगामी बनाती है। कोई भी पत्र-पत्रिका समाज की संपत्ति होती है। समाज के प्रबुद्धजनों के सहयोग, समर्थन और संरक्षण के बिना उसके गुणवत्तापूर्ण सतत प्रकाशन संभव नहीं है। अपने संरक्षकों के उच्च विचार एवं सहायता के बल पर ही हम पत्रिका के निरंतर प्रकाशन में सक्षम होंगे। अतः हम समाज के सजग, और प्रबुद्ध प्रभावशाली नागरिकों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पत्रिका के सतत प्रकाशन में अपना योगदान दें। इस संदर्भ में हम एक सशक्त संरक्षक समिति का गठन करना चाहते हैं। कृपया, आप भी अपनी सहमति देकर हमारे अभियान को गति प्रदान करें।

आपका ही
रणविजय सिंह संपादक
9334612716

संरक्षक मंडल

धर्मनाथ प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिवक्ता कल्याण समिति
जस्टिस राजेंद्र प्रसाद, पूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय
राजेश कुमार शुक्ल, वाइस चेयरमैन, झारखंड स्टेट बार काउंसिल
आदित्य शंकर, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
समरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
कुमार अभिनव, शिक्षाविद् सह समाजसेवी, दिल्ली एनसीआर
डॉ. अनिल सुलभ, अध्यक्ष, बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन
योगेश चंद्र वर्मा, वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
बिंध्य केसरी कुमार, वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
सूर्यदेव यादव, अपर महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
उपेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
अरविंद कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय (CGC)
राजकुमार राजेश, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
डॉ. रंजीत कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
मृत्युंजय कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन
डॉ. प्रो. डीएन मिश्रा, प्रिंसिपल, नवादा विधि महाविद्यालय
अरुण श्रीवास्तव, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पटना
कौशल कुमार गिरी, डायरेक्टर, अम्बेडकर लॉ कॉलेज, पटना
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, दंत चिकित्सक सह समाजसेवी



A. P. MEMORIAL LAW COLLEGE GAYA JI (BIHAR)

(Conducted under Societies Registration Act 1860 u/s 21)

Run under : Anish Pankaj Memorial Education Trust, Gaya Ji (Bihar)

Recognised by Bar Council of India, New Delhi, Affiliated to Magadh University, Bodhgaya
& Proposed Approval by State Govt. of Bihar (Patna)

ADMISSION NOTICE : 2025-26

Application for admission in Part 1st B.A. LL.B (5 Years),
LL.B (3 Years) for the session 2025-26 are invited on few vacant
& reserved seats as per the norms of BCI.
New Delhi & Govt. of Bihar (Patna)

Bus facility available in Town Service, equipped by CCTV & Wi-Fi facility.

Contact us Email : apmemorallawcollege@gmail.com
Mob.: 9431224775, 9934222031, 8825318149, 7903561682

Prof. Awadhesh Kr. Singh, Principal
Mob.: 9934222031

सम्पादक की कलम से...

बैंकिंग व्यवस्था : विकास, विश्वास और कानूनी जवाबदेही



रणविजय सिंह
संपादक



देश की आर्थिक संरचना में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका रीढ़ के समान रही है। बदलते आर्थिक परिवेश में बैंक अब केवल बचत के संरक्षक नहीं, बल्कि ऋण आधारित विकास के प्रमुख वाहक बन चुके हैं। उदारीकरण और बाजारीकरण के बाद बैंकिंग सेवाओं का विस्तार तो हुआ, पर इसके साथ ग्राहक अधिकारों और पारदर्शिता से जुड़े नए प्रश्न भी सामने आए हैं।

भारत में अपना घर खरीदना केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। किंतु होम लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया कई बार आम नागरिक के लिए जटिल और असमान अनुभव बन जाती है। आकर्षक ब्याज दरों के मौखिक आश्वासन, बाद में बदली हुई शर्तें, बिना स्पष्ट सहमति बीमा पॉलिसियों की बिक्री तथा छिपे हुए शुल्क— ये सभी समस्याएँ बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं।

कानूनी दृष्टि से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता और निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी देता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनकल्याणकारी व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं। ऐसे में वित्तीय संस्थानों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे ऋण वितरण में पारदर्शिता

और समान अवसर सुनिश्चित करें। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशा-निर्देश स्पष्ट करते हैं कि ऋण की सभी शर्तें, शुल्क और जोखिम ग्राहकों को स्पष्ट एवं लिखित रूप में बताना अनिवार्य है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत गलत बिक्री (Mis-selling), भ्रामक जानकारी या सेवा में कमी को कानूनी चुनौती दी जा सकती है। न्यायालयों ने भी समय-समय पर यह माना है कि संपत्ति के टाइटल या कानूनी जांच में बैंक की लापरवाही का दायित्व केवल ग्राहक पर नहीं डाला जा सकता। बैंकिंग संबंध विश्वास पर आधारित अनुबंध है, जिसमें पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि बैंक लाभ और लक्ष्य के साथ नैतिक दायित्व को भी समान महत्व दें। ग्राहक केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली की आधारशिला हैं। जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता बैंकिंग संस्कृति का हिस्सा नहीं बनती, तब तक आर्थिक विकास का उद्देश्य अधूरा रहेगा।

बैंकिंग व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य केवल ऋण वितरण नहीं, बल्कि विश्वास का निर्माण होना चाहिए— क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत भरोसे पर ही टिकती है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में SARFAESI अधिनियम, 2002:

सुरक्षित ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं एवं तृतीय पक्षों के अधिकारों, दायित्वों तथा प्रवर्तन तंत्र का विकास, अनुपालन व्यवस्था और व्यावहारिक चुनौतियों का समग्र विश्लेषण।



प्रशांत कुमार

अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय, पटना
मो0 - 8210794989

SARFAESI अधिनियम, 2002 भारत की वित्तीय एवं बैंकिंग विधि व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य बढ़ती अनुत्पादक आस्तियों (एन.पी.ए) की समस्या तथा पारंपरिक ऋण वसूली प्रणाली की अक्षमताओं का समाधान करना था। यह अधिनियम सुरक्षित ऋणदाताओं को बिना पूर्व न्यायिक हस्तक्षेप के अपनी सुरक्षा हितों का प्रवर्तन करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत बैंक एवं वित्तीय संस्थान गिरवी रखी गई संपत्तियों का कब्जा लेकर उनका विक्रय कर सकते हैं। साथ ही, उधार कर्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु ऋण वसूली अधिकरण (D.R.T.) एवं ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (D.R.A.T) के माध्यम से अपीलीय निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार, यह अधिनियम भारत की ऋण प्रवर्तन प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत लेख में अधिनियम की कार्यात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए यह विश्लेषण किया गया है, कि यह अपने विधिक उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक कर सका है तथा इसके क्रियान्वयन और व्याख्या को

प्रभावित करने वाले न्यायिक विकासों का समालोचनात्मक परीक्षण किया गया है।

1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अनुत्पादक आस्तियों (एन.पी.ए) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया जटिल और दीर्घकालिक बन गई। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 तथा ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत पारंपरिक दीवानी कार्यवाहियाँ प्रभावी सिद्ध नहीं हो रही थीं। नरसिंहम समिति की सिफारिशों पर ऋण वसूली अधिकरण (DRT) की स्थापना की गई, किंतु बढ़ते लंबित मामलों के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। परिणामस्वरूप, एक प्रभावी व त्वरित वसूली तंत्र की आवश्यकता अनुभव की गई और वर्ष 2002 में SARFAESI अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम ने सुरक्षित ऋणदाताओं को बिना पूर्व न्यायिक हस्तक्षेप के बंधक संपत्तियों पर कब्जा लेकर उन्हें विक्रय करने का अधिकार प्रदान किया। इससे बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ, ऋण अनुशासन को बढ़ावा मिला तथा वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता सुदृढ़ हुई।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि SARFAESI अधिनियम का प्रयोग मुख्यतः "सुरक्षित ऋणदाताओं" पर लागू होता है, जिनमें अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बैंक एवं वित्तीय संस्थान सम्मिलित हैं। साथ ही, न्यायिक निर्णय के द्वारा सहकारी बैंकों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। तथापि, इस अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ वैधानिक शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। सर्वप्रथम, संबंधित ऋण को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेक पूर्ण मानकों (Prudential Norms) के अनुसार विधिवत रूप से अनुत्पादक आस्ति (N.P.A) घोषित किया जाना चाहिए। द्वितीय, बकाया राशि ₹1,00,000 से अधिक होनी चाहिए, तथा यदि

देय राशि मूलधन और उस पर संचित ब्याज के कुल योग के बीस प्रतिशत से कम हो, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक संपत्ति पर विधिसम्मत, वैध एवं प्रवर्तनीय सुरक्षा हित होना आवश्यक है, जिससे वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उस संपत्ति का विधिक कब्जा ग्रहण कर सके। इसके अतिरिक्त, SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 31 में कुछ विशेष अपवादों का उल्लेख किया गया है, जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। इसमें भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 तथा माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अंतर्गत उत्पन्न धारणाधिकार (Lien), भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 172 के अंतर्गत प्रतिज्ञा (Pledge), विमान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत विमानों पर सुरक्षा हित, तथा व्यापारी नौवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पोतों (Vessels) पर सुरक्षा हित को बाहर रखा गया है। साथ ही, माल विक्रय अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत अवैतनिक विक्रेता के वैधानिक अधिकार भी इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(1) के प्रावधान के अंतर्गत जो संपत्तियाँ कुर्की से मुक्त हैं (जब तक कि उन पर विशेष रूप से प्रभार न बनाया गया हो), तथा कृषि भूमि पर सृजित हित भी इस अधिनियम की परिधि से बाहर रखे गए हैं।

अब SARFAESI अधिनियम के उन विधिक प्रावधानों पर विचार किया जाए, जिनका पालन बैंक अथवा सुरक्षित ऋणदाता को तब करना अनिवार्य होता है जब किसी ऋण खाते को अनुत्पादक आस्ति (N.P.A) के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता को अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों का, साथ ही सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 का कठोरता से

अनुपालन करना होता है। ये प्रावधान सुरक्षित ऋणदाता के लिए आधारभूत तंत्र का कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से बैंक उधार कर्ता से देय सार्वजनिक धन की वसूली कर सकता है। इन प्रावधानों के अंतर्गत बैंक को सर्वप्रथम मांग सूचना (Demand Notice) जारी करनी होती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कब्जा सूचना (Possession Notice) तथा मोचन सूचना (Redemption Notice) भी दी जाती है। यदि आवश्यक हो, तो धारा 14 के अंतर्गत भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु महानगर दंडाधिकारी अथवा जिला दंडाधिकारी की सहायता भी ली जा सकती है। धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व सभी वैधानिक शर्तों का पालन अनिवार्य है। विशेष रूप से नियम 8 यह निर्धारित करता है कि सुरक्षित ऋणदाता को संबंधित सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करनी होगी, जिनमें से एक स्थानीय भाषा (वर्नाक्युलर) में होना चाहिए। साथ ही, उक्त सूचना को संपत्ति के बाहरी दरवाजे या किसी प्रमुख स्थान पर चस्पा करना आवश्यक है, तथा देनदार को विधिसम्मत सेवा का प्रमाण भी सुनिश्चित करना होता है।

अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम की धारा "26-घ. प्रतिभूतियों के प्रवर्तन का अविकार" के अनुसार प्रतिभूति ऋणदाता तब तक प्रतिभूति आस्तित्व हित के प्रवर्तन का अधिकार प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि उधार कर्ता की सृजित प्रतिभूति हित का पंजीकरण केंद्रीय रजिस्ट्री में न कर दिया गया हो। यहाँ "केंद्रीय रजिस्ट्री" से अभिप्राय 'भारतीय प्रतिभूति करण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (CERSAI)' से है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन केंद्रीय रजिस्ट्री है। इसका उद्देश्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सृजित बंधक एवं अन्य सुरक्षा हितों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा यह सत्यापित करना है कि संबंधित संपत्ति पर पूर्व में कोई प्रभार या बंधन तो नहीं है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना को रोका जा सके। यहाँ यह कहना भी उल्लेखनीय है कि SARFAESI अधिनियम केवल अचल संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि चल संपत्ति पर भी लागू होता है। चल संपत्ति पर प्रतिभूति ऋणदाता द्वारा की जाने वाली SARFAESI

कार्यवाही सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 4 से 7 के अनुसार संपादित की जाती है।

SARFAESI अधिनियम, 2002 का संचालन बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से संबंधित ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 (RDB अधिनियम) के साथ समन्वय में किया जाता है, जिसमें न्यायिक पर्यवेक्षण का दायित्व ऋण वसूली अधिकरण (D.R.T) तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (D.R.A.T) को सौंपा गया है। देश भर में स्थापित D.R.T, अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत उन आवेदनों की सुनवाई करते हैं, जो किसी उधार कर्ता अथवा अन्य प्रभावित व्यक्ति द्वारा सुरक्षित ऋणदाता की प्रवर्तन कार्यवाही को चुनौती देते हुए दायर किए जाते हैं, बशर्ते ऐसे आवेदन 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए हों। इन अधिकरणों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सुरक्षित ऋणदाता द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता का परीक्षण करें, विधि-विरुद्ध पाए जाने पर संबंधित उपायों को निरस्त करें, सुरक्षित संपत्ति का कब्जा पुनः बहाल करें अथवा उपयुक्त राहत प्रदान करें। इसके पश्चात, अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत DRAT, DRT द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय मंच के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2016 में किए गए संशोधनों के माध्यम से प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं त्वरित बनाने का प्रयास किया गया, जिनमें ई-नीलामी की व्यवस्था तथा समय-सीमा को सुदृढ़ करने जैसे प्रावधान सम्मिलित हैं, जिससे प्रणाली गत विलंब को कम किया जा सके। यद्यपि ये अधिकरण त्वरित वसूली और न्याय संगतता के सिद्धांतों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तथापि लंबित मामलों की अधिकता तथा आधारभूत संरचनात्मक सीमाएँ अभी भी इनके सुचारु एवं प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

SARFAESI अधिनियम, 2002 को व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने तथा इसकी कार्यात्मक प्रभावशीलता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर महत्वपूर्ण विधायी संशोधनों के माध्यम से परिष्कृत किया गया है। वर्ष 2004 के संशोधन का उद्देश्य प्रारंभिक

न्यायिक परीक्षण के दौरान उत्पन्न प्रक्रियात्मक अस्पष्टताओं को दूर करना तथा व्याख्यात्मक समस्याओं का निराकरण करना था। इसके पश्चात वर्ष 2016 के संशोधन द्वारा आस्तित्व पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies - ARCs) की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार किया गया, ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के समक्ष कार्यवाही को अधिक सुव्यवस्थित बनाया गया तथा सुरक्षित आस्तियों के त्वरित और पारदर्शी विनिवेशन हेतु ई-नीलामी की व्यवस्था को विधिक मान्यता प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) के अधिनियमन ने वसूली तंत्र को और सशक्त बनाया, जिसके अंतर्गत सुरक्षित ऋणदाताओं को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का वैधानिक विकल्प प्राप्त हुआ। इससे कॉर्पोरेट चूक (Corporate Default) के मामलों में बेहतर वसूली दर तथा परिसंपत्तियों के अधिकतम मूल्य प्राप्ति की संभावना सुदृढ़ हुई। समग्र रूप से, ये विधायी विकास भारत के वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती और जटिल आवश्यकताओं के अनुरूप वसूली व्यवस्था के निरंतर गतिशील विकास को दर्शाते हैं।

अधिनियम के प्रारंभ से ही इसकी संवैधानिक वैधता, प्रक्रियात्मक शुद्धता तथा ऋणदाताओं की प्रवर्तन शक्तियों और उधारकर्ताओं के अधिकारों के मध्य संतुलन के प्रश्नों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा व्यापक न्यायिक परीक्षण किया गया है। न्यायपालिका ने अपने प्रामाणिक निर्णयों के माध्यम से अधिनियम की सीमाओं एवं दायरे को स्पष्ट किया, व्याख्यात्मक अस्पष्टताओं का समाधान किया तथा निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए। इन न्यायिक हस्तक्षेपों ने अधिनियम के त्वरित वसूली के उद्देश्य और उधारकर्ताओं के वैध अधिकारों की संरक्षण-आवश्यकता के मध्य संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय विधि व्यवस्था में वसूली संबंधी न्यायशास्त्र की व्याख्या एवं संरचना निर्धारण में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों को अपने कार्यकलापों का संचालन विभिन्न वैधानिक अधिनियमों, जैसे— बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; SARFAESI अधिनियम, 2002; तथा ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993; के अंतर्गत निर्धारित विधिक ढाँचे के अनुरूप करना अनिवार्य है।

केवल विधिक प्रावधानों का अनुपालन ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इन संस्थानों पर यह दायित्व भी है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों का भी पालन करें, क्योंकि ये निर्णय क्षेत्र में बाध्यकारी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि देश के समस्त न्यायालयों एवं प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होती है। अतः बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में इन न्यायिक निर्णयों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालय समय-समय पर ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान करते रहे हैं, जिनका वसूली तंत्र की समकालीन कार्यप्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र की न्यायिक दिशा निर्धारित करने वाले प्रमुख निर्णयों में Mardia Chemicals Ltd. बनाम भारत संघ एवं अन्य (2004) 4 SCC 311 तथा Transcore बनाम भारत संघ एवं अन्य (2008) 1 SCC 125 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। Mardia Chemicals प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने SARFAESI अधिनियम, 2002 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए यह घोषित किया कि विधायिका को सुरक्षित ऋणदाताओं को बिना पूर्व न्यायिक हस्तक्षेप के सुरक्षा हित प्रवर्तन का अधिकार प्रदान करने की विधायी क्षमता प्राप्त

है। इसी प्रकार, Transcore प्रकरण में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बैंक एवं वित्तीय संस्थान SARFAESI अधिनियम, 2002 तथा ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 (पूर्व में RDDBFI अधिनियम) के अंतर्गत उपलब्ध उपायों को एक साथ अपनाने के अधिकारी हैं, जिससे दोनों अधिनियमों की परस्पर पूरक प्रकृति की पुष्टि हुई। Hindon Forge Pvt. Ltd. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019) 2 SCC 198 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा लिए जाने के पश्चात उधार कर्ता का धारा 17 के अंतर्गत DRT में आवेदन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है और कब्जा लिए जाने के पश्चात भी धारा 17 के अंतर्गत उपाय उपलब्ध रहता है, जिससे न्यायिक पर्यवेक्षण की निरंतरता सुनिश्चित होती है। इसी प्रकार, ITC Ltd. बनाम Blue Coast Hotels Ltd. (2018) 15 SCC 99 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया में बैंकों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों को रेखांकित करते हुए पारदर्शिता एवं उचित मूल्यांकन के अभाव में की गई बिक्री को निरस्त कर दिया। इस निर्णय ने पुनः यह स्थापित किया कि SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जाना चाहिए और उनका मनमाना उपयोग स्वीकार्य नहीं है। Mathew Varghese बनाम Amritha Kumar एवं अन्य (2014) 5 SCC 610 में न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि यदि सुरक्षित ऋणदाता द्वारा देय राशि की गणना को लेकर कोई विवाद हो, किंतु उधार कर्ता संपूर्ण देय राशि का भुगतान करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक हो, तो धारा 13(8) के अंतर्गत उसे संपत्ति के मोचन (Redemption) का अधिकार प्राप्त है; तथापि, नीलामी संपन्न होने के पश्चात मात्र नीलामी राशि जमा कर संपत्ति की वापसी का दावा स्वीकार्य नहीं है। हाल ही में Celir LLP बनाम Bafna Motors (Mumbai) Private Ltd. (2024) 2 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उधार कर्ता का बंधक

संपत्ति के मोचन का अधिकार धारा 13(8) के अंतर्गत केवल नीलामी सूचना (Auction Notice) के प्रकाशन तक ही सीमित है। इस प्रकार, इन निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने SARFAESI अधिनियम की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए ऋणदाताओं की शक्तियों तथा उधार कर्ताओं के अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है।

SARFAESI अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निहित विधिक संरक्षण यह प्रतिपादित करते हैं कि यह विधि केवल सुरक्षित ऋणदाताओं को प्रवर्तन शक्तियाँ प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उधार कर्ताओं तथा संबंधित अन्य हितधारकों के अधिकारों की समुचित रक्षा भी सुनिश्चित करती है। धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी होने पर उधारकर्ता को 60 दिनों की वैधानिक अवधि प्रदान की जाती है, जिसके भीतर वह बकाया राशि का भुगतान कर सकता है अथवा धारा 13(3A) के अधीन अपना लिखित अभ्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर सुरक्षित ऋणदाता द्वारा कारण युक्त उत्तर 15 दिनों के भीतर उधार कर्ताओं को देना अनिवार्य है। यदि धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा या अन्य प्रवर्तन उपाय अपनाए जाते हैं, तो धारा 17 के अधीन 45 दिनों के भीतर ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार उपलब्ध है। धारा 13(8) के अनुसार नीलामी की पुष्टि से पूर्व संपूर्ण देय राशि का भुगतान कर संपत्ति के मोचन का अधिकार भी सुरक्षित है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत संपत्ति के स्वतंत्र मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य निर्धारण तथा पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति का अवमूल्यन या मनमानी न हो।

इसी क्रम में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अधिनियम उन तृतीय पक्षों (Aggrieved Third Parties) के अधिकारों की भी रक्षा करता है, जिनका हित संबंधित सुरक्षित संपत्ति से जुड़ा हो या जो सुरक्षित ऋणदाता की कार्यवाही से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हों।

धारा 17 की व्यापक व्याख्या के आलोक में कोई भी "व्यथित व्यक्ति" (any person aggrieved) ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रवर्तन कार्यवाही से उसके विधिसम्मत अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। उदाहरणार्थ, सह-स्वामी, वैध किरायेदार, गिरवी संपत्ति में हित रखने वाले उत्तराधिकारी, या ऐसे व्यक्ति जिनका विधिसम्मत दखल अथवा स्वामित्व दावा हो, वे अधिकरण के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यदि नीलामी या कब्जा कार्यवाही में उनके अधिकारों की अनदेखी की गई हो, तो अधिकरण को प्रवर्तन की वैधता की जांच कर आवश्यकतानुसार राहत प्रदान करने का अधिकार है। इस प्रकार अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह स्पष्ट करता है कि प्रवर्तन की प्रक्रिया किसी निर्दोष तृतीय पक्ष के विधिक अधिकारों का हनन न करें।

मुझे खुद इस विधि व्यवसाय से जुड़े हुए दो दशकों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा SARFAESI व्यवस्था से संबंधित प्रकरणों में निरंतर व्यावहारिक संलग्नता और व्यापक अनुभव के आधार पर मैं यह निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ कि एक कुशल अधिवक्ता सुरक्षित ऋणदाता, उधारकर्ता तथा व्यथित तृतीय पक्ष के मध्य एक अत्यंत रणनीतिक एवं निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। वो अपने पेशेवर दायित्वों के अंतर्गत नियमित रूप से उधारकर्ताओं और तृतीय पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हुए न केवल उनके विधिक अधिकारों, समय-सीमाओं एवं उपलब्ध उपचारों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि धारा 13(3A) के अंतर्गत तथ्य धारित एवं विधिसम्मत अभ्यावेदन तैयार करने, प्रवर्तन प्रक्रिया में निहित प्रक्रियात्मक त्रुटियों की सूक्ष्म पहचान करने, नीलामी कार्यवाही को टालने हेतु सार्थक समझौता वार्ताएँ संचालित करने तथा ऋण वसूली अधिकरण (DRT) एवं ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (DRAI) के समक्ष प्रभावी एवं तर्कसंगत प्रतिनिधित्व देने जैसे दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं। साथ ही,

वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली, उनकी वसूली नीतियों एवं आंतरिक प्रक्रियाओं की गहन समझ के कारण अधिवक्ता पुनर्गठन (Restructuring), एकमुश्त निपटान (One-Time Settlement - OTS) अथवा अन्य वैकल्पिक समाधानों के संबंध में व्यावहारिक एवं रणनीतिक विधिक परामर्श प्रदान करने में भी सक्षम रहते हैं।

यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि अनेक अवसरों पर अधिवक्ता द्वारा समयोचित एवं सुविचारित हस्तक्षेप के माध्यम से अनावश्यक वाद-विवाद को रोका गया है तथा सौहार्दपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस प्रकार, मेरे अनुभव में अधिवक्ता की भूमिका केवल वाद-विवाद तक सीमित न रहकर, प्रवर्तन प्रक्रिया में संतुलन, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता स्थापित करने तथा सूचना संबंधी असमानताओं को कम करते हुए पक्षकारों के विधिसम्मत अधिकारों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित करने तक विस्तृत होती है। अर्थात् एक दक्ष अधिवक्ता यह सुनिश्चित करता है, कि सुरक्षित ऋणदाता की प्रत्येक कार्रवाई विधि के अनुरूप हो तथा उधारकर्ता और तृतीय पक्ष दोनों के अधिकारों का समुचित सम्मान किया जाए।


दूसरी ओर, अधिवक्ताओं को अनेक व्यावहारिक एवं पेशेवर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इनमें जटिल वैधानिक ढाँचे की व्याख्या एवं अनुपालन, DRT के समक्ष साक्ष्य संबंधी दायित्वों का निर्वहन, तथा बैंकों की दृढ़ वसूली रणनीतियों और उधारकर्ताओं को उपलब्ध वैधानिक संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करते समय उत्पन्न नैतिक प्रश्न सम्मिलित हैं। अधिकरणों में लंबित मामलों की अधिकता समय एवं संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जबकि उच्च मूल्य के मामलों में विस्तृत दस्तावेजीकरण और बार-बार होने वाले वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक संशोधन कार्य को और जटिल बना देते हैं। बैंकों का प्रतिनिधित्व करते समय त्वरित एवं निर्णायक कार्यवाही अपेक्षित होती है, जबकि उधारकर्ताओं के लिए संरचनात्मक एवं वित्तीय असमानताओं के वातावरण में दुर्भावनापूर्ण

आचरण सिद्ध करना प्रायः कठिन सिद्ध होता है। इस प्रकार, अधिवक्ता की भूमिका न केवल विधिक दृष्टि से जटिल है, बल्कि व्यावहारिक एवं नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील और उत्तर दायित्वपूर्ण है।

उपसंहारः, SARFAESI अधिनियम, 2002 ने भारत की ऋण वसूली प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस अधिनियम के माध्यम से सुरक्षा हितों के त्वरित प्रवर्तन की विधिक संरचना स्थापित की गई, जिससे बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या से निपटने हेतु एक सक्षम तंत्र प्राप्त हुआ। साथ ही, अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधान उधारकर्ताओं तथा अन्य व्यथित पक्षकारों के लिए आवश्यक विधिक संरक्षण भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे प्रवर्तन प्रक्रिया पूर्णतः एकपक्षीय न होकर न्यायसंगत एवं संतुलित बनी रहे।

यद्यपि अधिनियम की संरचना सुव्यवस्थित, उद्देश्यपरक एवं वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने वाली है, तथापि इसकी वास्तविक प्रभावशीलता ऋण वसूली अधिकरणों (DRT) के कुशल एवं समयबद्ध संचालन, न्यायिक हस्तक्षेप के संतुलित एवं विवेक पूर्ण प्रयोग, तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा विधिक प्रावधानों के कठोर एवं पारदर्शी अनुपालन पर निर्भर करती है। भविष्य की दृष्टि से अधिनियम की सफलता अधिकरणों की आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण, प्रक्रियागत दक्षता में वृद्धि, तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता जैसे समकालीन दिवालियापन कानूनों के साथ समन्वित कार्यान्वयन पर आधारित रहेगी। समग्र रूप से, SARFAESI अधिनियम भारत की वित्तीय वसूली व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी निरंतर सफलता उत्तरदायित्वपूर्ण क्रियान्वयन, संस्थागत पारदर्शिता एवं विधिक अनुशासन के दृढ़ पालन पर ही अवलंबित रहेगी।

बैंक अभी भी दोराहे पर.....



डॉ. ओमप्रकाश जमुआर

अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
उपसंपादक, विधि विमर्श
मो0- 8709542267

जिस तरह नैसर्गिक धरातल पर आत्मा एवं शरीर के आत्मिक रिश्ते अविस्मरणीय हैं, उसी तरह व्यवसायीकरण के वर्तमान युग में ग्राहक तथा बैंक के अन्योन्य संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब तक ग्राहक बैंक के इर्द-गिर्द होते हैं, बैंक अपने आप को गरिमाय महसूस करता है। जहाँ ग्राहक का अटूट विश्वास बैंक से टूटा-हटा, बैंक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

भारत में अंग्रेजों के प्रवेश के पहले मुगलकालीन व्यवस्था में सूदखोरी चरम सीमा पर थी। गरीब गरीब होते गये और अमीरों का पौ-बारह अंग्रेजों के पदार्पण होने के बाद भी जारी रहा। 1806 में कलकत्ता में प्रेसीडेंसी बैंक खोला गया। उसी क्रम में 1840 में बम्बई में प्रेसीडेंसी बैंक एवं तत्पश्चात् 1843 में मद्रास में प्रेसीडेंसी बैंक खोले गए। आगे चलकर, 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1895 में पंजाब नेशनल बैंक खोले गये जो आज तक जीवित एवं कारगर हैं। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों को भी भूला नहीं जा सकता है।

प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) एवं 1929 की विश्व आर्थिक मंदी की वजह से भारत के तीनों

प्रेसीडेंसी बैंक के खस्ता हालत हो गये। अन्ततः भारत में काम कर रही अंग्रेज सरकार ने बैंकों में गतिशीलता प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 बनाया। उस समय भी अंग्रेज सरकार की मंशा जनहित में नहीं थी। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत की केन्द्रीय सरकार ने 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन लाये गए, ताकि वे सभी जनहित में सदुपयोगी कार्य कर सकें।

गौरतलब हो कि भारत में काम कर रहा इम्पेरियल बैंक को भी 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया और आगे चलकर इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ताकि यह बैंक भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में बैंकीय सुविधा सही ढंग से प्रदान कर सके।

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं आर्थिक समृद्धि के लिए बैंकों की सुचारु गतिविधि राष्ट्रीय हित में अति आवश्यक एवं प्रथम शर्त है। देश की शासकीय व्यवस्था की निगाह भी रहती है। इसी लिए 1969 में चौदह प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि वे सभी देश के आर्थिक विकास तथा समृद्धि में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ सहभागी बन सकें।

सरकारी बैंक एवं प्राइवेट बैंक के सम्पूर्ण कार्यों और गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से सक्षम है। यह भी बल दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से स्वायत्त होने के बावजूद केन्द्र सरकार के प्रति राष्ट्रीय हित में जवाबदेह है।

यहां पर चर्चा करना लाजमी है कि 1991 में पूरे देश में उदारीकरण एवं बाजारीकरण की नीति लागू की गयी, जो आज भी कायम है। देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ प्राइवेट क्षेत्र के बैंक भी सरकार से कंधा-से-कंधा मिलाकर चले तो हमारी

समेकित समृद्धि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ज्यादा दिखाई पड़ेगी। आज पूरी दुनिया में आर्थिक एवं सामाजिक स्पर्धा पूरी तेजी से हो रही है। जो राष्ट्र मजबूत एवं सबल है, वही दूसरे देश की मदद कर सकता है।

भारत सरकार का दृढ़ लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनाना है। अभी हम विश्व की पांचवीं आर्थिक व्यवस्था हैं। प्रकृति का नियम है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सतत प्रयत्नशील है, सफलता उसे ही चूमती है।

अभी हाल ही में 16 से 20 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली में विश्व की चौथी ए.आई. समिट आयोजित किया गया जिसमें हमारा लक्ष्य है कि विश्व का ए.आई. संप्रभु बनाना। बैंकिंग व्यवस्था को अधिक कारगर बनाना ए.आई. समिट का मुख्य लक्ष्य है। अभी हमलोग कैशलेस यू.पी.आई. की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ का दृढ़ विश्वास है कि भारत के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी बैंक इस संकल्पित कार्य को लेकर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर आर्थिक गतिविधि तेज है, वहीं आर्थिक विकास स्वतः दिखाई देता है।

देश के आर्थिक विकास में बैंकिंग-व्यवस्था को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया में संचार-क्रांति होने के बाद इन्टरनेट की त्वरित भूमिका बढ़ी है। अब पूरी लेन-देन यू.पी.आई. के माध्यम से हो रही है। हमारे देश के सारे सरकारी एवं गैर-सरकारी बैंक इस दिशा में तेजी से अग्रसर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि रूपये-पैसे के लेन-देन में असुरक्षा की जो भावना रहती है, वह धीरे-धीरे कम हो जायेगी। आम लोग को बड़ी राहत होगी। इसीलिए सारे सरकारी एवं गैर-सरकारी बैंकों को लिखित निर्देश प्राप्त है कि व्यवसायिक कारोबारियों के अलावा सामान्य लोगों को भी यह सुविधा अवश्य प्राप्त हो।

हमलोग इस बात से विदित है कि भारत सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाएं बैंकों के माध्यम से लागू होते हैं। राज्य सरकारें भी इस दिशा में अग्रसर हैं। बिहार सरकार तो कामगार महिलाओं को बैंकों के माध्यम से प्रत्येक माह दस-दस हजार रुपये सहायता राशि प्रदान कर रही है। अभी हाल में पच्चीस अरब रुपये बिहार सरकार ने बैंकों में महिलाओं के नाम से उपलब्ध खातों में अन्तरण किया है।

आज के बदलते परिदृश्य में सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी बैंकों से खुलापन की नीति अपनानी है, ऐसा निर्देश भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से दे रखा है। अभी बैंकों में साइबर गड़बड़ी ज्यादा हो रही है, जो चिंता का विषय है। इस पर कठोर अंकुश रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दंड की व्यवस्था की गयी है। कुछ लोग ना-समझी

की वजह से डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं। केन्द्र सरकार उन्हें पूर्ण सहयोग के लिए तत्पर है जिससे बैंकों में धोखाधड़ी करनेवाले के नकेल कसा जा सके। बैंकिंग विश्लेषक मानते हैं कि बैंकिंग धोखाधड़ी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, जब सारे सरकारी एवं गैर-सरकारी बैंक समन्वित ढंग से काम करें। समन्वय का भाव टीम-स्पीट का सूचक है।

आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में बैंकों की भूमिका सराहनीय रही है लेकिन सामाजिक कल्याण में इनके कार्य संकीर्ण रहे हैं। इसीलिए 1969 में चौदह प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे भारत सरकार का सामाजिक नियंत्रण उन पर सीधा बना रहे।

गौरतलब हो कि आज के बदलते परिदृश्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकारें सामाजिक कल्याण को ज्यादा महत्व तथा

तरजीह दे रही है। परंतु तथाकथित सरकारी बैंकों की भूमिका कल्याणकारी कार्यों में संकीर्ण है जिस पर सार्वजनिक बहस होने की आवश्यकता है।

विदित हो कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जो भारतीय संविधान से निर्देशित होता है। सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी बैंकों को अपने-अपने कार्य पद्धति में बदलाव लाना ही होगा।

संचार क्रांति होने के बाद पूरे देश में इंटरनेट के माध्यम से आम लोगों को बैंकिंग सेवाएं दी जा रही है। आमजन बैंकों से जुड़े हैं। अभी भी बैंकों के कार्यों में खुलापन की जरूरत है, अधिकांश बैंक दोराहे पर खड़े हैं। उन्हें लाभ कामाना है परंतु उन्हें जनकल्याणकारी काम भी करने हैं।

बेजुबानों के साथ हमदर्दी रखिए ये बिना लपजों के दुआये देते है



(Regd. 2281/2021-22)

माँ कौशल्या देवी फाउंडेशन ट्रस्ट

बेजुबान जानवरों के लिए भण्डारा प्रत्येक दिन दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बेजुबानों की सेवा साक्षात् ईश्वर की सेवा है।

बेजुबान जानवरों को बिन कारण न मारे।







मंडलक पीठाधीश्वर इटीशचंद पाट काशी
परम पुन्य गुरुदेव श्री कपाली जी
महाराज जी





के. एल. गुप्ता
संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष
(MKDF)
M: 9873133878

जल, जंगल एवं जानवरों को सुरक्षित कर राष्ट्रहित में अपना योगदान दें।



महिमा कुमारी

अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
सहायक संपादक (विधि विमर्श)

भारत में बैंक ऋण वसूली : विधिक ढांचा और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य

1- ऋण क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।

भारत में पिछले एक दशक के दौरान रिटेल क्रेडिट क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड तथा डिजिटल ऋण आम उपभोक्ताओं के लिए सहज और सुलभ वित्तीय साधन बन चुके हैं। बैंकिंग प्रणाली ने इस विस्तार को आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में अपनाया है।

परंतु जब कोई उधारकर्ता परिस्थितिगत ऋण की किस्त समय पर नहीं चुका पाता, तब बैंक और उधारकर्ता के बीच का यह सहयोगात्मक संबंध प्रायः वसूली के चरण में तनावपूर्ण हो जाता है।

2- गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड तथा डिजिटल ऋण आम उपभोक्ताओं के लिए सहज और सुलभ वित्तीय साधन बन चुके हैं।

कानूनी रूप से यह स्थापित सिद्धांत है कि लोन डिफॉल्ट सामान्यतः सिविल दायित्व होता है। मात्र ऋण की अदायगी में असफलता अपने-आप में आपराधिक अपराध नहीं बनती। आपराधिक उत्तरदायित्व तभी उत्पन्न होता है जब उधारकर्ता उधारकर्ताओं के विधिक संरक्षण और गरिमा का उल्लंघन न हो। एक संतुलित बैंकिंग प्रणाली के लिए आवश्यक है कि वसूली प्रक्रिया विधिसम्मत, पारदर्शी और मर्यादित बनी रहे, जिससे दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रह सकें।

साथ ही, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बैंक को अपने वैध बकाया की वसूली का अधिकार प्राप्त है, किंतु यह अधिकार विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है।

भारत में ऋण वसूली एक सुव्यवस्थित विधिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होती है।

SARFAESI अधिनियम, 2002 सुरक्षित ऋणों के मामलों में बैंकों को त्वरित कार्रवाई का अधिकार देता है, जबकि उधारकर्ता को Debt Recovery Tribunal के समक्ष अपील का संरक्षण भी प्रदान करता है।

वहीं Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 का उद्देश्य प्रत्यक्ष वसूली से अधिक ऋण समाधान पर केंद्रित है, जिससे वित्तीय प्रणाली में संतुलन बना रहे।

3- भारतीय रिजर्व बैंक ने वसूली प्रक्रिया को निष्पक्ष और मर्यादित बनाए रखने हेतु Fair Practices Code तथा वसूली एजेंटों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।

प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं—

- वसूली एजेंट उधारकर्ता से केवल निर्धारित समयावधि में ही संपर्क कर सकते हैं।
- किसी भी प्रकार की धमकी, अपमानजनक भाषा या दबावपूर्ण व्यवहार निषिद्ध है।
- वसूली एजेंट को अपनी पहचान और बैंक का प्राधिकरण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है।
- उधारकर्ता की निजता और गरिमा का सम्मान किया जाना आवश्यक है।
- RBI के दिशानिर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में बैंक स्वयं उत्तरदायी माने जाते हैं।

4- ICICI Bank Ltd. द्वारा वसूली प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वसूली प्रक्रिया की सीमाओं को स्पष्ट किया है।

ICICI Bank Ltd. द्वारा वसूली प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।

2007 में यह कहा गया कि दबाव या बल प्रयोग के माध्यम से वसूली विधिसम्मत नहीं है।

इसी प्रकार ICICI Bank द्वारा वसूली एजेंटों के अवैध कृत्यों के लिए बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते।

5- व्यवहार में यह देखा गया है कि अनेक उधारकर्ता वसूली से संबंधित अपने अधिकारों और शिकायत तंत्रों से अनभिज्ञ रहते हैं।

RBI ने इस उद्देश्य से एक प्रभावी नियामक व्यवस्था विकसित की है—

प्रथम स्तर पर, शिकायत संबंधित बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के समक्ष की जाती है।

समाधान न होने की स्थिति में, उधारकर्ता RBI की Integrated Ombudsman Scheme के अंतर्गत शिकायत कर सकता है।

इसके लिए RBI द्वारा Complaint Management System (CMS) नामक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है (cms.rbi.org.in)।

यह तंत्र न्यायालयीन प्रक्रिया के अतिरिक्त एक नियामक समाधान प्रदान करता है।

6- भारत में ऋण वसूली से संबंधित विधिक एवं नियामक व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने वैध वित्तीय हितों की रक्षा कर सकें, साथ ही उधारकर्ताओं के विधिक संरक्षण और गरिमा का उल्लंघन न हो।

एक संतुलित बैंकिंग प्रणाली के लिए आवश्यक है कि वसूली प्रक्रिया विधिसम्मत, पारदर्शी और मर्यादित बनी रहे, जिससे दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रह सकें।

भारतीय बैंकिंग कानून (Indian Banking Law):

उद्देश्य, संरचना, चुनौतियाँ और मानवीय दृष्टिकोण



नीतीश कुमार सिंह

अधिवक्ता सह संयुक्त संपादक
विधि विमर्श
मो0 - 9934224104

भारतीय बैंकिंग प्रणाली किसी भी राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ होती है। भारत जैसे विकासशील और विशाल जनसंख्या वाले देश में बैंकिंग केवल पूंजी के लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और नागरिकों की सुरक्षा का संवैधानिक साधन भी है। Indian Banking Law इसी उद्देश्य से बना और विकसित हुआ है कि बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़, अनुशासित, पारदर्शी और मानवीय बनी रहे।

भारतीय बैंकिंग कानून उन सभी विधिक प्रावधानों का समुच्चय है, जो भारत में बैंकों की स्थापना, नियंत्रण, संचालन, ऋण वितरण, वसूली, जमाकर्ताओं की सुरक्षा तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। यह कानून ये संतुलन बनाता है कि बैंक व्यावसायिक रूप से सक्षम रहें, जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित रहे, ऋणदाता और ऋणग्राही दोनों के अधिकार संरक्षित हों, तथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता न उत्पन्न हो।

2- **Banking Regulation Act] 1949** & यह

a) **Banking Regulation Act] 1949** & यह

भारत का मुख्य बैंकिंग कानून है इसमें बैंक का लाइसेंस, पूंजी (Capital) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का नियंत्रण, बैंक का विलय, बंदी, ऑडिट एवं Section 35। में RBI को बैंक को निर्देश देने की शक्ति भी दी गई है।

b) **Reserve Bank of India Act] 1934** & RBI की स्थापना और शक्तियाँ तय करता है, इसमें शामिल हैं मौद्रिक नीति (Monetary Policy), नोट जारी करना, बैंकों पर नियंत्रण करना।

c) **State Bank of India Act] 1955** & SBI के गठन और संचालन से जुड़ा विशेष कानून दिया गया है।

d) **Bank Nationalisation Acts] 1969 & 1980** & निजी बैंकों को सरकारी बैंक बनाने का कानून इसमें है। (जैसे PNB, BOB, Canara Bank आदि)

e) **SARFAESI Act] 2002** & यह बैंक को अधिकार देता है कि डिफॉल्ट होने पर बिना कोर्ट गए गिरवी संपत्ति जब्त / नीलाम कर सके, लोन मामलों में सबसे प्रभावी यहीं कानून है।

f) **Recovery of Debts and Bankruptcy Act] 1993** & **DRT Act] 1993** & इस कानून के तहत बैंक और वित्तीय संस्थानों की वसूली के लिए— DRT (Debt Recovery Tribunal) की व्यवस्था की गई है।

g) **Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)] 2016** & यह कंपनियों / व्यक्तियों के दिवालियापन से संबंधित कानून है। इसमें NCLT के माध्यम से समाधान होता है।

h) **Negotiable Instruments Act, 1881** & यह चेक बाउंस से जुड़ा कानून है — इसमें Section 138 के चेक बाउंस जैसे अपराध के लिए सजा का प्रावधान है।

3- **More Subjects] 1/2**

a) **1/2 बैंकिंग विनियमन और RBI की भूमिका पर दो कानून हैं एक Banking Regulation Act, 1949 और दूसरा Reserve Bank of India Act, 1934—** RBI बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक है। लाइसेंस, निरीक्षण, निर्देश, विलय, परिसमापन और जनहित से जुड़े सभी निर्णय RBI के नियंत्रण में हैं।

b) **1/2 जमाकर्ता (Depositor) की सुरक्षा—** भारतीय बैंकिंग कानून का प्रथम उद्देश्य Depositor Protection है। इसके अंतर्गत: — न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ, वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), कैश रिजर्व रेशियो (CRR) DICGC के अंतर्गत बीमा सुरक्षा, इन प्रावधानों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक की जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में न पड़े।

c) **1/2 ऋण (Loan) वितरण और अनुशासन—** बैंकिंग कानून यह अपेक्षा करता है कि ऋण सोच-समझकर दिया जाए, उधारकर्ता की भुगतान क्षमता का आकलन हो, अंधाधुंध ऋण वितरण न हो। यहीं से वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) की अवधारणा जन्म लेती है।

4- **Recovery Framework] 1/2**

a) **SARFAESI Act, 2002 —** यह कानून बैंकों को अधिकार देता है कि वे डिफॉल्ट की स्थिति में गिरवी संपत्ति को जब्त कर नीलाम कर सकें, परंतु यह अधिकार निरंकुश नहीं है। कानून स्पष्ट कहता है कि नोटिस देना अनिवार्य है, उधारकर्ता को सुनवाई का अवसर देना होगा, DRT में अपील का अधिकार भी सुरक्षित है।

b) **DRT Act, 1993 —** बैंक वसूली के लिए विशेष न्यायाधिकरण (DRT) बनाए गए ताकि

त्वरित लेकिन न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाई जा सके।

c) Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 – IBC का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि समाधान (Resolution) है, ताकि व्यवसाय बच सके और आर्थिक तंत्र संतुलित रहे।

5- ol yuh , t 5] dkuw vK\$ ekuoh
I dV&

यहीं भारतीय बैंकिंग कानून की सबसे संवेदनशील चुनौती सामने आती है। व्यवहार में यह देखा गया है कि रिक्वरी एजेंट द्वारा धमकी, मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक अपमान, और अवैध दबाव ने कई मामलों में ऋणग्राही को आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने पर मजबूर किया है। जबकि RBI के दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं कि रिक्वरी एजेंट शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते, सार्वजनिक अपमान, धमकी, डराना अपराध है, समय और भाषा की मर्यादा का पालन अनिवार्य है। कानून बैंक को अधिकार देता है, लेकिन मानव गरिमा को कुचलने की अनुमति नहीं, ये सरासर अपराध हैं।

6- c5] dkuw dsmi5; vK\$
mud hoklr fod i 5vZ&

a) जमाकर्ता की सुरक्षा – कानूनी ढांचा मजबूत है, परंतु जब वसूली प्रक्रिया अमानवीय बनती है, तो बैंकिंग प्रणाली पर जनता का विश्वास कमजोर होता है।

b) वित्तीय अनुशासन– वित्तीय अनुशासन केवल ऋणग्राही पर नहीं, बल्कि बैंक और उसके एजेंटों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए।

c) आर्थिक स्थिरता – जब ऋण वसूली सामाजिक त्रासदी में बदल जाती है, तब आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ती है, क्योंकि परिवार टूटते हैं, उपभोग घटता है, सामाजिक असंतोष बढ़ता है।

7- ekuoh vK\$ I ekoshc5] dkuw&

आज आवश्यकता है कि भारतीय बैंकिंग कानून

को मानवीय दृष्टिकोण से लागू किया जाए, रिक्वरी एजेंट पर कठोर निगरानी हो, उधारकर्ता की गरिमा को कानूनी संरक्षण मिले और बैंकिंग को दमन नहीं, समाधान का माध्यम बनाया जाए। आजकल सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफी को दिखाया जाता है इसे अक्सर H hkk dt Z ekQIB कहकर भ्रामक रूप में दिखाया जाता है। जबकि उद्योगपतियों का कर्ज अधिकतर Write-off / IBC Resolution से



होता है, सरकारी माफी नहीं। भारतीय बैंकिंग कानून + RBI की नियामक व्यवस्था के तहत रीस्ट्रक्चर /सेटलमेंट/राइट-ऑफ के माध्यम से ये कर्ज निपटाए जाते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है, बड़े कर्जों में विशेष समाधान निम्न अधिनियमों के अनुसार किए जाते हैं :-

a) Banking Regulation Act, 1949 के तहत Section 21 – 35। में RBI को बैंकों को निर्देश देने का अधिकार है। RBI, Loan Restructuring, Settlement, Write-off की अनुमति देता है जिसे बैंक व्यावसायिक विवेक (commercial decision) से निर्णय लेते हैं और इसी आधार पर बड़े कर्जों में विशेष समाधान

किया जाता है।

b) RBI का Master Circular / Prudential Norms (Income Recognition, Asset Classification & Provisioning – IRAC Norms) NPA बनने के बाद One Time Settlement (OTS) Haircut Technical / Accounting Write-off बैंक, बैलेंस शीट से कर्ज हटाता है, लेकिन उधारकर्ता की देनदारी खत्म नहीं होती यही वह बिंदु है जिसे लोग “कर्ज माफी” समझ लेते हैं।

c) SARFAESI Act, 2002, बैंक बिना कोर्ट जाए गिरवी संपत्ति कब्जा कर सकता है, नीलामी कर सकता है, कई मामलों में नीलामी, OTS के बाद शेष राशि write-off कर दी जाती है। यह भी माफी नहीं, बल्कि रिक्वरी का वैधानिक तरीका है।

d) Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), 2016 के Section 30(4), 31 Committee of Creditors (CoC) Resolution Plan मंजूर करती है जिसमें Haircut 50–90% तक, NCLT से अप्रूवल के बाद पुराना कर्ज समाप्त किया जाता है। नया मालिक / प्रबंधन, बड़े उद्योगपतियों के मामलों में यही सबसे आम रास्ता है।

e) One Time Settlement (OTS) Scheme– RBI के दिशानिर्देशों पर आधारित बैंक और उधारकर्ता के बीच समझौता, पूरा पैसा नहीं, तय रकम लेकर मामला बंद किया जाता है। कानूनी तौर पर यह वैध है, पर आम जनता के लिए सीमित। जब संविधान के नाम पर बैंकों को बचाया जा सकता है, जब उद्योगपतियों को Haircut और Resolution मिल सकता है, तो आम जनता और महिलाओं को केवल वसूली, अपमान और दमन क्यों? “यह आर्थिक नीति नहीं, यह संवैधानिक असमानता है। ये सरासर Rule of law के खिलाफ हैं। मैं विधि विमर्श पत्रिका के माध्यम से केंद्रीय सरकार से मांग रखता हूँ कि जब आप समानता वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो छोटे कर्जदारों से ऐसा भेदभाव क्यों?? जहाँ एक ओर हजारों करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट ऋण IBC, OTS, Haircut और Write-off के माध्यम

से "कानूनी समाधान" पा जाते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएँ, छोटे व्यापारी, स्वयं सहायता समूह शिक्षा, वाहन और स्वरोजगार ऋण लेने वाले नागरिक रिकवरी एजेंट, सामाजिक अपमान, मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या तक के लिए विवश क्यों किए जाते हैं।

यह मात्र आर्थिक नीति नहीं, यह एक संवैधानिक संकट (Constitutional Crisis) है।

मेरे विरोध का मूल प्रश्न (Core Question of Protest):—क्या भारतीय संविधान केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए है? क्या आर्थिक असफलता केवल गरीबों के लिए अपराध है? और क्या कानून का मानवीय चेहरा केवल कॉरपोरेट बोर्डरूम तक सीमित है? भारतीय संविधान Article 14 – (Equality Before Law) के तहत समान परिस्थिति में समान व्यवहार की गारंटी देता है। परंतु बैंकिंग व्यवहार में – बड़े डिफॉल्टर = Commercial Wisdom, छोटे डिफॉल्टर = Moral Failure, यह वर्गीकरण बुद्धिगम्य भेद (Intelligible Differentia) पर नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति पर आधारित है। यह Article 14 के तहत निषिद्ध मनमानी (Arbitrariness) है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 (Right to Life with Dignity) के तहत बार-बार कहा है कि जीवन का अधिकार = गरिमा + मानसिक शांति + आजीविका। परंतु छोटे कर्जदारों के मामले में सार्वजनिक अपमान, पारिवारिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार, आत्महत्या की घटनाएँ सामान्य हो चुकी हैं। वहीं बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्टरों को NCLT संरक्षण Resolution Professional, मीडिया-प्रूफ समाधान मिलता है। यह कानून का दोहरा मानदंड (Double Standard of Dignity) क्यों?? संविधान Article 15(3) – Protective Discrimination) के तहत महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण की अनुमति देता है, परंतु बैंकिंग नीति में महिला कर्जदाता,

विधवा, गृहिणी, माइक्रो-फाइनेंस ऋणधारक सबसे कठोर वसूली तंत्र का सामना करती हैं। यह संरक्षण न देने की संवैधानिक चूक (Constitutional Omission) है। आपकी बैंकिंग लॉ Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 केवल कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए है, सामान्य नागरिक के लिए कोई प्रभावी Individual Insolvency Framework नहीं, कोई Haircut Protection नहीं, कोई Time-bound Resolution नहीं ये सरासर नीतिगत भेदभाव (Policy Discrimination) क्यों?? Article 38, 39, 43 राज्य का कर्तव्य है कि आर्थिक न्याय, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण वो गरिमापूर्ण जीवन हो परंतु वर्तमान व्यवस्था में घाटा = समाज, लाभ = कॉरपोरेट, सजा = गरीब, यह Welfare State नहीं, Corporate Preferential State का निर्माण है और तो और RBI Guidelines में OTS और Write-off बैंक के विवेक पर आधारित हैं। जो कि बिना पारदर्शिता के मनमानी होती हैं जो कि Rule of Law के खिलाफ है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के Debt & Human Rights सिद्धांत कहते हैं कि ऋण वसूली मानवीय होनी चाहिए, महिलाओं और कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण मिलना चाहिए लेकिन भारत की वर्तमान कर्ज वसूली नीति इन मानकों से पीछे हटती हुई दिखाई देती है। यह आर्थिक नीति नहीं, संवैधानिक अन्याय है "जब उद्योगपति विफल हों, तो उसे 'Resolution' कहा जाता है। जब गरीब विफल हों, तो उसे 'डिफॉल्टर' कहा जाता है।" यह अंतर कानून का नहीं, शक्ति का है।

मेरे मांगों के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं –

- Individual Insolvency Protection का विस्तार हो
- महिलाओं और छोटे कर्जदारों के लिए IBC—जैसा ढाँचा तैयार हो।

c) Uniform, Transparent OTS Policy लागू हो।

d) Recovery Agent पर कठोर दंड का प्रावधान हो।

e) Parliamentary Accountability on Write-offs की व्यवस्था आम से खास सभी के लिए हो।

fu'd "kZ&

भारतीय बैंकिंग कानून का वास्तविक उद्देश्य केवल धन की सुरक्षा नहीं, बल्कि मानव जीवन, सामाजिक संतुलन और आर्थिक न्याय की रक्षा है। जब तक कानून का पालन उसकी आत्मा के साथ नहीं होगा, तब तक जमाकर्ता सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता अधूरी रहेगी।

एक सशक्त बैंकिंग प्रणाली वही है, जो मुनाफे और मानवता के बीच संतुलन स्थापित करे। भारतीय बैंकिंग कानून का उद्देश्य केवल वित्तीय अनुशासन या ऋण वसूली नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप मानवीय बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और RBI के दिशा-निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि बैंकिंग अधिकार निरंकुश नहीं, बल्कि कानून, नैतिकता और मानव गरिमा से नियंत्रित हैं। जब ऋण वसूली कानून के दायरे से बाहर जाकर भय और अपमान का साधन बनती है, तब वह न केवल अवैध होती है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असंतुलन और मानवीय त्रासदी को जन्म देती है। अतः एक समावेशी बैंकिंग व्यवस्था वही है जो जमाकर्ता की सुरक्षा, ऋणदाता के अधिकार और ऋणग्राही की गरिमा—तीनों के बीच संतुलन स्थापित करे।



शिवानंद मिश्रा

अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
मो०— 9308454485

८' u ॥ gysi fr dsjgrsgq nWjh
' kknhdj ukD, kekj gS

उत्तर :-पहले पति के रहते हुए दूसरी शादी करना भारत में कानूनन अमान्य (वाइड) और आपराधिक (क्रिमिनल ऑफेंस) है, जिसे 'द्विवाह' (बिगामी) कहते हैं, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 (अब बीएनएस की धारा 82) के तहत इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, क्योंकि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर कानून कोई मान्यता नहीं देता और यह एक दंडनीय अपराध है—

d kuwhfLFkr ॥

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (हिंदू मैरिज एक्ट) की धारा 5 के तहत, विवाह तभी वैध माना जाता है जब किसी भी पक्ष का कोई जीवित पति या पत्नी न हो. इस शर्त के उल्लंघन पर विवाह धारा 11 के तहत शून्य (वाइड) होता है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 (अब बीएनएस की धारा 82) के अनुसार, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है।

विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) के तहत भी यही नियम लागू होता है, जहाँ वैध विवाह के लिए पहले से शादीशुदा न होना जरूरी है।

i fj . ke १da hDob s १२॥

दूसरी शादी अमान्य: आपकी दूसरी शादी

कानूनी सलाह

कानून की नजर में कोई कानूनी अस्तित्व नहीं रखती।

आपराधिक सजा: दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

कानूनी कार्रवाई : पहली पत्नी या पति इसके खिलाफ

अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आईपीसी 494 एक गैर-संज्ञेय (नॉन-कॉग्निजेबल) अपराध है, इसलिए पुलिस सीधे एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर सकती, शिकायत कोर्ट में होती है।

संक्षेप में, जब तक पहली शादी कानूनी रूप से (तलाक से) खत्म नहीं हो जाती, तब तक दूसरी शादी भारत में पूरी तरह अवैध और दंडनीय है।

८' u ॥ i hvkj c,UMD, kgksg\$bl s
dc fn; kt kr kgS

उत्तर :- भारत में मुदालय (अभियुक्त/ आरोपी) को बेल बांड (सुरती बाँड/ जमानतदार) की जगह पीआर बाँड (पर्सनल रिक्ॉग्निजेंस बाँड/पर्सनल बाँड – निजी मुचलका) पर छोड़ने का स्पष्ट प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436, 437 और 441 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – बीएनएसएस के अंतर्गत) के तहत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों (जैसे सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई) में 'जेल नहीं, जमानत' के सिद्धांत को दोहराते हुए निर्धन आरोपियों के लिए पीआर बाँड को प्राथमिकता देने की बात कही है।

यहाँ पीआर बाँड से संबंधित मुख्य प्रावधान और कानूनी स्थिति दी गई है :

1- i hvkj c,UM१॥ १y c,UMD kgS

पीआर बाँड का मतलब है कि आरोपी को बिना किसी जमानतदार (सुरती) या जमानत राशि (कैश/प्रॉपर्टी) जमा किए, केवल अपने

निजी मुचलके (स्वयं की प्रतिज्ञा) पर रिहा किया जाता है।

2- eQ; dkuwhçlo/ku १4hvki h hds vubkj १२ सीआरपीसी की धारा 436 (जमानती अपराध): यदि आरोपी जमानती अपराध में गिरफ्तार है और वह जमानतदार देने में असमर्थ है, तो उसे 'निजी बांड' (पर्सनल बाँड) पर छोड़ने का प्रावधान है। यदि वह एक सप्ताह के भीतर जमानत नहीं दे पाता है, तो इसे निर्धन माना जा सकता है।

सीआरपीसी की धारा 437 (गैर-जमानती अपराध): यदि आरोपी निर्धन है और जमानतदार (सुरती) नहीं दे पा रहा है, तो कोर्ट या पुलिस उसे 'बिना जमानतदार के बांड' (पर्सनल बाँड) पर छोड़ सकती है।

सीआरपीसी की धारा 441/441ए (बांड की प्रक्रिया): कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह भारी-भरकम जमानत की शर्त रखने के बजाय आरोपी के निजी मुचलके को ही पर्याप्त मान ले।

3- i hvkj c,UMdc fn; kt kr kgS

निर्धनता: यदि अभियुक्त गरीब है और जमानतदार नहीं ला सकता है।

मामूली अपराध: यदि अपराध कम गंभीर है और आरोपी के भागने की संभावना नहीं है।

अनावश्यक जेल: जब बेल मिलने के बावजूद, जमानतदार न मिल पाने के कारण कोई लंबे समय तक जेल में हो, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पीआर बाँड का उपयोग किया जाता है।

4- I qre d kZdsfn' kfunZk १4R æ d qkj v f r y ekey k/2अदालतें ऐसे बेल बांड की मांग न करें जिन्हें भरना आरोपी के लिए असंभव हो। जमानतदार पेश करने में असमर्थ होने पर आरोपी को केवल पीआर बाँड पर छोड़ा जाना चाहिए। सुनवाई में देरी होने पर, आरोपी को पीआर बाँड पर रिहा करने के प्रावधान का लाभ मिलना चाहिए।

5- i hvkj c,UMeD kgksgS

आरोपी को एक कागज पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि वह हर पेशी पर आएगा और कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करेगा। यदि वह भागता है, तो उसे बांड की राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन उस समय उसे किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी (सुरती) की आवश्यकता नहीं होती।

fu" d " %

कानून के अनुसार, पीआर बॉन्ड निर्धन और ऐसे आरोपियों के लिए एक अधिकार की तरह है जो जमानतदार नहीं दे सकते। यह कानून 'जेल नहीं, जमानत' के सिद्धांत को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है।

ç' u % çks/ D, kgkskgS

उत्तर :- प्रोबेट (प्रोबेट) एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी मृत व्यक्ति की वसीयत (विल) को अदालत द्वारा वैध और आखिरी इच्छा के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

çks/ dker y c %

प्रोबेट अदालत द्वारा जारी एक सर्टिफिकेट / ऑर्डर होता है जो यह दिखाता है कि वसीयत सही तरीके से बनी है, वसीयतकर्ता की आखिरी इच्छा है और कानूनी रूप से वैध है। इसके बाद वसीयत में नामित एक्जीक्यूटर (निष्पादक) को अदालत की ओर से अधिकार

मिलता है कि वह मृतक की संपत्ति को वसीयत के अनुसार बाँटे और प्रबंधित करे।

çks/ D, kst : j hgkskgS

बैंक, रजिस्ट्री ऑफिस या अन्य संस्थान अक्सर बिना प्रोबेट के वसीयत के आधार पर संपत्ति ट्रांसफर नहीं करते, खासकर जब संपत्ति बड़ी हो या विवाद की संभावना हो।

प्रोबेट से भविष्य में उत्तराधिकारियों के बीच झगड़े कम होते हैं क्योंकि अदालत ने वसीयत की वैधता पहले ही साबित कर दी होती है।

भारत में कब प्रोबेट लेना जरूरी है?

मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के पुराने न्यायिक क्षेत्रों में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन वसीयतों के मामले में प्रोबेट अनिवार्य माना जाता है।

अन्य जगहों पर प्रोबेट हमेशा अनिवार्य नहीं है, लेकिन बड़ी संपत्ति, विवाद या बैंक / रजिस्ट्रार की शर्त होने पर लेना सलाह दिया जाता है।

भारत में प्रोबेट कब अनिवार्य होता है, यह मुख्य रूप से संपत्ति की जगह और वसीयतकर्ता के समुदाय पर निर्भर करता है।

1- t çks/ çks/ v fuok Zekut k kgS

जब मृतक ने वसीयत बनाई हो और उसकी संपत्ति मुंबई, कोलकाता या चेन्नई के नगरपालिका क्षेत्रों में हो (इन्हें "प्रेसीडेंसी टाउन" कहा जाता है), तो प्रोबेट कानूनन अनिवार्य माना जाता है।

यह अनिवार्यता खासकर हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदायों पर लागू होती है, जब वसीयत इन शहरों में स्थित संपत्ति के लिए बनाई गई हो।

2- vU fLkfr ; k t c çks/ t : j hgks t k kgS

जब बैंक या कोई संस्थान संपत्ति ट्रांसफर करने से पहले प्रोबेट की मांग करता है (जैसे बड़ी रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट, जमीन / मकान आदि)।

जब वसीयत पर परिवार में विवाद हो या होने की संभावना हो, तो अदालत की ओर से प्रोबेट लेना अनिवार्य न होते हुए भी जरूरी माना जाता है।

3- t çks/ çks/ v k r k s i j v fuok Zugh g %

मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के बाहर बाकी जगहों पर सभी मामलों में प्रोबेट अनिवार्य नहीं है। वहाँ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रशासन पत्र से भी संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है। मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि के लिए अलग उत्तराधिकार कानून हैं, जहाँ प्रोबेट हमेशा अनिवार्य नहीं होता, बल्कि विशेष परिस्थितियों में लिया जाता है।

बिहारी वेलफेयर सोसाइटी



संजय भाई (नालन्दा-छत्तरपुर)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
बिहारी वेलफेयर सोसाइटी (BWS)
जहां बिहार-वहां विकास
मो0-8800597750

की ओर से सभी पाठकों को
हार्दिक शुभकामनाएँ।



डॉ. रंजीत कुमार
राष्ट्रीय महासचिव
बिहारी वेलफेयर सोसाइटी (BWS)
जहां बिहार-वहां विकास
मो0-8800689555



नीरज कुमार

अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय,
संयुक्त संपादक
मो0 : 6287971401

अनावश्यक हस्ताक्षर या मनमानी पर करें शिकायत

ग्राहक को बैंक लोन के लिए अनावश्यक हस्ताक्षर या मनमानी का सामना करने पर पहले बैंक से लिखित शिकायत करें, फिर RBI बैंकिंग लोकपाल का सहारा लें। यह RBI दिशानिर्देशों के तहत ग्राहक अधिकारों की रक्षा करता है।

तत्काल कदम सभी दस्तावेजों (लोन एग्रीमेंट, KFS, संधि पत्र) की कॉपी लें और जांचें कि वे RBI के मानक दस्तावेज हैं; अतिरिक्त हस्ताक्षर अस्वीकार करें।

बैंक शाखा प्रबंधक को लिखित शिकायत दें, जिसमें समस्या का विवरण और सबूत संलग्न हों; बैंक को 30 दिनों में जवाब देना होता है। यदि संतुष्टि न हो, तो cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन बैंकिंग लोकपाल शिकायत दर्ज करें (बैंक शिकायत के 1 वर्ष के अंदर)।

कानूनी अधिकार RBI नियमों के तहत बैंक केवल आवश्यक दस्तावेज (KYC, आय प्रमाण, लोन एग्रीमेंट) ही मांग सकते हैं; मनमानी या अतिरिक्त शुल्क अवैध है।

हरासमेंट (जैसे अनावश्यक दबाव) पर उपभोक्ता अदालत या लोकपाल में जाएं, जहां मुआवजा मिल सकता है।

डिजिटल लोन में ई-साइन दस्तावेज स्वचालित रूप से ग्राहक को भेजे जाते हैं। आगे की सलाह आवश्यक दस्तावेजों की सूची RBI वेबसाइट या बैंक से लें; वकील से सलाह लें यदि विवाद बढ़े।

शिकायत के लिए cms.rbi.org.in/CMS/ का उपयोग करें।

बैंकों की लोन वसूली में मनमानी के खिलाफ

RBI का फेयर प्रैक्टिस कोड (Fair Practices Code) मुख्य कानून है, जो हरासमेंट निषिद्ध करता है।

RBI फेयर प्रैक्टिस कोडरिक्वरी एजेंट सभ्यता से काम करें; गाली, धमकी, हिंसा या सार्वजनिक अपमान वर्जित।

संपर्क केवल सुबह 7 से रात 7 बजे तक, तीसरे पक्ष (परिवार/पड़ोसी) को सूचना न दें।

एजेंट बैंक का वैध लेटर और ID दिखाएं; अन्यथा अवैध।

शिकायत प्रक्रिया बैंक को लिखित शिकायत दें 30 दिनों में जवाब न मिले तो RBI बैंकिंग लोकपाल (cms.rbi.org.in) में दर्ज करें।

हरासमेंट साबित होने पर एजेंट लाइसेंस रद्द, मुआवजा और कानूनी कार्रवाई संभव।

अतिरिक्त सुरक्षा SARFAESI एक्ट 2002 के तहत नोटिस अनिवार्य मनमानी मध्यस्थ नियुक्ति अवैध।

IPC धारा 503 (आपराधिक धमकी), 506 (धमकाना) लागू हो सकती।

सेटलमेंट या रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंक से बात करें।

RBI Fair Practices Code उल्लंघन पर शिकायत पहले बैंक स्तर पर करें, फिर RBI बैंकिंग लोकपाल में दर्ज करें। यह प्रक्रिया ग्राहक अधिकारों की रक्षा के लिए सरल और प्रभावी है।

बैंक स्तर पर शिकायत बैंक शाखा प्रबंधक या शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित आवेदन (ईमेल/पत्र) दें, जिसमें उल्लंघन का विवरण (जैसे हरासमेंट, अनुचित संपर्क समय) और सबूत संलग्न करें।

बैंक को 30 दिनों में संतोषजनक जवाब देना अनिवार्य प्रमाण रखें।

RBI लोकपाल में शिकायत cms.rbi.org.in पर जाएं, "Complaint Management

System" चुनें। नाम, मोबाइल, बैंक का नाम, शिकायत विवरण, लोन अकाउंट नंबर, पूर्व शिकायत की कॉपी (PDF, 2MB तक) अपलोड करें; OTP से वेरीफाई करें।

बैंकिंग लोकपाल मुफ्त जांच करेगा; निर्णय बाध्यकारी, मुआवजा संभव।

अतिरिक्त कदम गंभीर हरासमेंट (धमकी) पर पुलिस FIR (IPC 503/506) दर्ज करें।

ट्रैकिंग के लिए शिकायत ID नोट करें।

लोन लेते समय अनिवार्य दस्तावेज मुख्य रूप से KYC, आय प्रमाण और आवास प्रमाण होते हैं, जो लोन के प्रकार (पर्सनल, होम, बिजनेस) पर निर्भर करते हैं।

सामान्य KYC दस्तावेज पहचान प्रमाण : PAN कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID (कोई एक)।

पता प्रमाण: आधार, पासपोर्ट, बिजली/पानी बिल (हाल के 2-3 महीने), बैंक स्टेटमेंट या राशन कार्ड।

पासपोर्ट साइज फोटो : 2-4 रंगीन फोटो।

सैलरीड व्यक्तियों के लिए आय प्रमाण : पिछले 3-6 महीने की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट।

नियोक्ता प्रमाण: सैलरी सर्टिफिकेट या नियुक्ति पत्र।


स्व-रोजगार/बिजनेस के लिए आय प्रमाण : ITR (पिछले 2-3 वर्ष), P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट (CA प्रमाणित), और 6-12 महीने का बैंक स्टेटमेंट।

बिजनेस प्रमाण: GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस या पार्टनरशिप डीड।

होम लोन के अतिरिक्त प्रॉपर्टी दस्तावेज जैसे सेल डीड, NOC, अलॉटमेंट लेटर अनिवार्य।

RBI के तहत बैंक केवल ये मानक दस्तावेज मांग सकते हैं; अतिरिक्त से मना करें।

बैंकर्स उदारतापूर्वक युवाओं को ऋण उपलब्ध कराये



प्रेम कुमार

महासचिव
बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन
मो0 - 9934085354

भारत गाँवों का देश है आज भी 70 प्रतिशत आबादी गाँव में ही निवास करता है जिसका मुख्य जीविका कृषि पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा है इसमें गाँव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों की विकास से ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज हमारे युवा इसलिए शिक्षा प्राप्त करना चाहता है ताकि उसे अच्छी नौकरी मिले जिससे वह भोगपरक जीवन जीने का आनंद उठा सके। इसी आनंद के तलाश में असफल होने पर अवैध तरीके से धन कमाने की चेष्टा करता है जो उसके जीवन में जहर घोलता है। बिहारी युवाओं को नौकरी ही करने की मनोवृत्ति है जबकि सरकारी नौकरी की संख्या नगण्य है। सरकार लाख दावा कर ले स्वरोजगार के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी सावित हो रहा है यह एक उपभोक्ता राज्य है। जब कोई उत्साही नौजवान स्वरोजगार के सपना लिए आगे बढ़ता है तो उसके साथ यह सड़ चुकी सिस्टम ने युवाओं को बदहाली की ओर धकेल देता है।

प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर इन भोले भाले बेरोजगार युवाओं से 25 से 30 हजार तक बसूल किया जाता है किसी तरह परियोजना स्वीकृत होकर बैंक पहुँचता है तब होता है असली खेल शुरु। बैंकर्स जिसके ऊपर युवाओं को उत्साहित करने मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी है वह इसके उलट युवाओं को भिखारी समझ प्रताड़ित करने लगता है और इतना दौड़ाया जाता है कि युवा थक हार कर घर बैठ जाता है। बिहार में बैंकर्स की भूमिका काफी नाकारत्मक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मैनेजर और दलालों की चलती है। हैरत की बात है कि बिहार के एक नौजवान मुर्गी पालन के लिए बैंक में आवेदन करता है बैंकर्स उसे इतना दौड़ाता है कि वे पटना में एक नेता जी के पास पैरवी के लिए पहुँचता है उसे ऋण तो बैंक से नहीं मिल पाया लेकिन पैरवी के लिए दौड़ते दौड़ते स्वयं नेता बन गया और बिहार सरकार में मंत्री रहे और आज केंद्र में मंत्री है। साधारण युवा बैंक जाता है खाता खुलवाने उसे बैंकर्स भगा देते हैं आज वह युवा पर फिल्म बना पदम् श्री सम्मान मिला है जबकि बड़े उद्योगपति को ऋण देने में यही बैंकर्स काफी उदारता दिखता है हजारों करोड़ का ऋण का सेटलमेंट हो जाता है अरबों रुपया लेकर विदेश भाग जाता है। बैंकर्स को ऋण देने में उदारतापूर्वक व्यवहार करने की जरूरत है। सरकार की सभी योजना बैंकर्स की उदासीनता से फेल हो रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य तक भी पूरा नहीं होता है बिहार में

जबकि यह प्रधानमंत्री जी का अति महत्वाकांक्षी योजना है कोई भी बेरोजगार व्यक्ति पाँच लाख से लेकर पचास लाख तक की राशि प्राप्त कर सकता है जिसमें 25 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान है। मुद्रा योजना, स्टार्टप जैसे योजनाओं का विफल होने में बैंकर्स का सबसे बड़ा हाथ है। बैंकर्स यह मान कर चलता है कि हर व्यक्ति जो बैंक आ रहा है वो ऋण लेने के बाद ऋण नहीं लौटायेगा जब नाकारत्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो निराशा ही हाथ लगता है। गरीबी उन्मूलन में बैंकर्स की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकर्स को साकारत्मक सोच के साथ मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। स्वरोजगार से ही दूर होगी बेरोजगारी। अब समय आ गया है कि महात्मा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा को लागू किया जाए जिसमें हर व्यक्ति हुनरमंद हो। बैंक बड़े उद्योगपति के लिए अलग मापदंड रखा है जबकि आम आवाम के लिए अलग। प्रेम यूथ फाउंडेशन बेरोजगारी मुक्ति अभियान चलाने की योजना पर विचार कर रहा है जिसमें स्थानीय स्तर पर संसाधन की पहचान कर युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं बैंकर्स को भी इस मुहिम में शामिल किया जायेगा।





Welcome Ceremony of Chief Justice held on 2nd February, 2026





जितेन्द्र कुमार

अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय, पटना
मो 0 – 9471852600

बैंकिंग कानून



Banking Law

वे नियम और कानून हैं जो बैंकों, उनके ग्राहकों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं, जिसमें भारत में मुख्य रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) शामिल है, जो बैंकों के लाइसेंसिंग, कामकाज, RBI के अधिकार और बैंकिंग प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने पर केंद्रित है, साथ ही हाल के संशोधनों (जैसे 2020 और 2025 के अधिनियम) ने नामांकन, गवर्नेंस और डिजिटल बैंकिंग में सुधार किए हैं।

बैंकिंग कानून के मुख्य पहलु

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) : यह भारत का मुख्य कानून है जो RBI को बैंकों को लाइसेंस देने, उनके कामकाज को विनियमित करने, प्रबंधन की निगरानी करने और परिसमापन (liquidation) जैसे मामलों में कार्रवाई करने की शक्ति देता है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Banking Laws (Amendment) Act, 2025) : यह हालिया संशोधन है जो डिजिटल बैंकिंग, नामांकन (4 नॉमिनी तक), और सहकारी बैंकों में गवर्नेंस में सुधार करता है, जिससे वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता बढ़ती है।

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (Bankers' Books Evidence Act, 1891) : यह बैंकों की बहियों (records) को अदालती

कार्यवाही में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रावधान करता है।

बैंकिंग कानून के मुख्य पहलु

बैंक और ग्राहक संबंध (Banker & Customer Relationship) : यह एजेंट, न्यासी (trustee) और लेनदार (debtor) के रूप में बैंकों की भूमिकाओं को परिभाषित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकार : RBI को बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है।

धन हस्तांतरण और सुरक्षा (Fund Transfer & Security) :

चेक भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT), और लॉकर सुरक्षा जैसे नियम शामिल हैं।

गवर्नेंस और ऑडिट (Governance & Audit) :

बैंकों के प्रबंधन, ऑडिट की गुणवत्ता और शेयरधारिता (shareholding) के नियम।

नए युग के बैंकिंग नियम (New Age Banking Rules) :

जनधन योजना, डिजिटल प्रक्रियाएँ और ग्राहक संरक्षण।

बैंकिंग कानून के उद्देश्य

बैंकिंग प्रणाली में दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

गलत प्रथाओं को रोकना और जनता के हितों की रक्षा करना।

बैंकिंग क्षेत्र का विकास करना और प्रभावी धन उपयोग सुनिश्चित कर बैंकिंग कानून (Banking Law) वे नियम और कानून हैं जो बैंकों, उनके ग्राहकों और अन्य संबंधित पक्षों के

बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं, जिसमें भारत में मुख्य रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) शामिल है, जो बैंकों के लाइसेंसिंग, कामकाज, लक्ष्य के अधिकार और बैंकिंग प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने पर केंद्रित है, साथ ही हाल के संशोधनों (जैसे 2020 और 2025 के अधिनियम) ने नामांकन, गवर्नेंस और डिजिटल बैंकिंग में सुधार किए हैं।

बैंकिंग कानून के मुख्य पहलु

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) : यह भारत का मुख्य कानून है जो RBI को बैंकों को लाइसेंस देने, उनके कामकाज को विनियमित करने, प्रबंधन की निगरानी करने और परिसमापन (liquidation) जैसे मामलों में कार्रवाई करने की शक्ति देता है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Banking Laws (Amendment) Act, 2025) : यह हालिया संशोधन है जो डिजिटल बैंकिंग, नामांकन (4 नॉमिनी तक), और सहकारी बैंकों में गवर्नेंस में सुधार करता है, जिससे वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता बढ़ती है।

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (Bankers' Books Evidence Act, 1891) : यह बैंकों की बहियों (records) को अदालती कार्यवाही में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रावधान करता है।

बैंकिंग कानून के मुख्य पहलु

बैंक और ग्राहक संबंध (Banker & Customer Relationship) : यह एजेंट,

न्यासी (trustee) और लेनदार (debtor) के रूप में बैंकों की भूमिकाओं को परिभाषित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकार: RBI को बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है।

धन हस्तांतरण और सुरक्षा (Fund Transfer & Security): चेक भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT), और लॉकर सुरक्षा जैसे नियम शामिल हैं।

गवर्नेंस और ऑडिट (Governance & Audit): बैंकों के प्रबंधन, ऑडिट की गुणवत्ता और शेयरधारिता (shareholding) के नियम।

नए युग के बैंकिंग नियम (New Age Banking Rules): जनधन योजना, डिजिटल प्रक्रियाएँ और ग्राहक संरक्षण।

मंशः 1 Objectives 1/2

- बैंकिंग प्रणाली में दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
- गलत प्रथाओं को रोकना और जनता के हितों की रक्षा करना।
- बैंकिंग क्षेत्र का विकास करना और प्रभावी धन उपयोग सुनिश्चित करना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

केंद्रीय बैंक: 4 चंद्रकेंद्र

केंद्रीय बैंक (जैसे RBI, जो पूरी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है), वाणिज्यिक बैंक (लाभ के लिए जनता से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं, जैसे SBI, HDFC), सहकारी बैंक (सदस्य-मालिक होते हैं और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित होते हैं), और विशेषीकृत बैंक (जो कृषि, निर्यात-आयात, या छोटे व्यवसायों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देते हैं)।

यहाँ इन 4 मुख्य प्रकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है :

दक्षिण केंद्रीय बैंक 1/2 यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है, जो अन्य सभी बैंकों को नियंत्रित और विनियमित करता है, मौद्रिक नीति तय करता है, और देश की आर्थिक

स्थिरता बनाए रखता है (भारत में भारतीय रिजर्व बैंक)।

कॉमर्शियल बैंक 1/2

इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये जनता से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (सरकारी), निजी क्षेत्र के बैंक, और विदेशी बैंक में बांटा जा सकता है।

कोऑपरेटिव बैंक 1/2

अपने सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, जो उन्हें सस्ती दरों पर ऋण और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में।

विशेषीकृत बैंक 1/2

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिक विकास (IDBI), कृषि (NABARD), या विदेशी व्यापार (EXIM Bank) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। देश की वित्तीय प्रणाली में सरकारी बैंकों की अहम भूमिका होती है।

घर के लिए ऋण 1/2

सेविंग अकाउंट में लेनदेन की कोई तय मासिक सीमा नहीं है, लेकिन बैंक अक्सर 3-5 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट देते हैं और ज्यादा होने पर शुल्क लेते हैं, वहीं, आयकर विभाग के लिए 1 साल में कुल ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा/निकासी पर नोटिस आ सकता है, खासकर ₹50,000 से ऊपर के लेनदेन पर पैन (PAN) और ₹2 लाख से ज्यादा पर जांच होती है, इसलिए ज्यादा लेनदेन (जैसे ₹1 लाख/दिन या ₹10 लाख/साल से ज्यादा) पर सावधानी बरतें और इसका कारण स्पष्ट रखें, क्योंकि इससे इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है।

कैश क्रैक 1/2

फ्री ट्रांजैक्शन: ज्यादातर बैंक हर महीने 3 से 5 फ्री ट्रांजैक्शन (कैश जमा/निकासी) की अनुमति देते हैं, जिसके बाद शुल्क लग सकता है, यह ब्रांच के प्रकार (मेट्रो/अर्बन) पर निर्भर करता है।

कैश जमा/निकासी 1/2

₹50,000 या उससे ज्यादा के कैश लेनदेन पर पैन (PAN) की जानकारी देनी होती है।

कैश जमा/निकासी 1/2

₹10 लाख से ज्यादा की कैश जमा या निकासी पर बैंक आयकर विभाग को सूचना (SFT & 61A) देते हैं, जिससे नोटिस आ सकता है।

कैश जमा/निकासी 1/2

₹2 लाख से ज्यादा की निकासी पर भी जांच हो सकती है।

कैश जमा/निकासी 1/2

₹1 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकासी से बचें, क्योंकि यह हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है।

कैश जमा/निकासी 1/2

स्पष्ट करें: अगर आप ज्यादा लेनदेन करते हैं, तो आय के स्रोत (जैसे घर से मिला पैसा, लोन) का प्रूफ रखें।

रिपोर्टिंग: अपने सभी बैंक खातों और लेनदेन

की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में जरूर दें, वरना ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।

डिजिटल लेनदेन: UPI, NEFT, IMPS जैसे

डिजिटल लेनदेन पर आमतौर पर यह रोक नहीं होती, लेकिन कुल आय और लेनदेन पर नजर रखें।

करंट अकाउंट 1/2

करंट अकाउंट 1/2

करंट अकाउंट (चालू खाता) में आप कितना भी पैसा रख सकते हैं, इसकी कोई ऊपरी सीमा (Upper Limit) नहीं है, लेकिन बैंक और इनकम टैक्स विभाग की अपनी शर्तें होती हैं, बैंक आपकी जमा राशि के अनुसार मासिक नकद जमा सीमा तय करते हैं (जैसे ₹2 लाख से करोड़ों तक), और अगर आप बिना स्रोत

बताए बड़ी रकम जमा करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है, इसलिए आय का स्रोत बताना जरूरी है।

ef; ckr 36

कोई ऊपरी सीमा नहीं : कानून आपको करंट अकाउंट में कितना भी पैसा रखने से नहीं रोकता है।

बैंक की सीमाएँ : हर बैंक की चालू खाते के लिए नकद जमा (Cash Deposit) की मासिक सीमा अलग होती है, जो खाते के प्रकार (Basic/Premium) पर निर्भर करती है, जैसे ₹2 लाख से ₹1-2 करोड़ या अधिक।

bude VSI fu; e Income Tax Rules 1%

एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से ज्यादा की बड़ी नकद जमा (Cash Deposit) की सूचना बैंक आयकर विभाग को देते हैं।

अगर आप बड़ी रकम जमा करते हैं और उसका स्रोत (Source of Income) स्पष्ट नहीं कर पाते, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है।

निकासी (Withdrawal) : करंट अकाउंट में पैसे निकालने की भी कोई तय सीमा नहीं होती, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी राशि निकालने पर भी टैक्स विभाग की नजर पड़ सकती है।

उदाहरण: कुछ बेसिक खातों में मासिक ₹2 लाख तक जमा हो सकता है, जबकि बड़े खातों में ₹1-2 करोड़ तक की मासिक जमा सीमा हो सकती है।

बैंक लोन (Loan) लेते समय धोखाधड़ी से बचने के लिए, कभी भी एडवांस फीस न दें, लोन देने वाले की आरबीआई (RBI) मान्यता जांचें और (OTP) या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। फर्जी ऐप या एजेंट कम ब्याज और आसान लोन का झांसा देकर ठगी करते हैं। तुरंत cybercrime.gov.in या 1930/155260 पर शिकायत करें।

y ks Income d sef; y {k k v f l p k m k %

एडवांस पैसे की मांग: असली बैंक या फाइनेंस कंपनी कभी भी लोन मंजूर होने से पहले

प्रोसेसिंग फीस या इंश्योरेंस के नाम पर पैसे नहीं मांगते।

फर्जी लोन ऐप्स: केवल विश्वसनीय और सत्यापित ऐप्स का उपयोग करें। संदिग्ध ऐप्स को डाउनलोड न करें जो आपसे फोन के संपर्कों (Contacts) तक पहुंचने की अनुमति मांगते हैं।

दस्तावेजों में हेराफेरी : अपनी आधार, पैन (PAN) या बैंक विवरण किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें।

सत्यापन करें : हमेशा कंपनी के आधिकारिक नंबर, वेबसाइट और ईमेल एड्रेस के माध्यम से ही संपर्क करें। लोन एग्रीमेंट को अच्छी तरह पढ़ें।

Income j D, kd j a

1930 पर कॉल करें : वित्तीय धोखाधड़ी (Cyber Fraud) के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन 1930 या 155260 पर कॉल करें।

साइबर सेल पर शिकायत: तुरंत cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

बैंक को सूचित करें: अपने बैंक को कॉल करके कार्ड या खाता तुरंत फ्रीज (Block) करवाएं।

एफ.आई.आर. (FIR): निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करें और सबूत के तौर पर मेसेज/स्क्रीनशॉट रखें।

Income ds fy, d k ft Eeskj gS

बैंक धोखाधड़ी के लिए बैंक, ग्राहक और नियामक सभी जिम्मेदार होते हैं, जिसमें बैंक को मजबूत सुरक्षा और कर्मचारी प्रशिक्षण देना होता है, ग्राहक को सतर्क रहना होता है, और RBI जैसे नियामक सुरक्षा नियम बनाते हैं, धोखाधड़ी होने पर बैंक को जांच करनी होती है और RBI के लोकपाल के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है।

dhft Eeskj ; k

सुरक्षा प्रणाली: बैंक की जिम्मेदारी है कि वह ग्राहकों के खातों और डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय (जैसे OTP, पिन सुरक्षा)

लागू करे और कर्मचारियों को धोखाधड़ी रोकने का प्रशिक्षण दे।

जांच और समाधान: धोखाधड़ी होने पर बैंक को तुरंत शिकायत की जांच करनी होती है और RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार 90 दिनों के भीतर समाधान करना होता है।

x tgd dhft Eeskj ; k

सतर्कता: ग्राहकों को अपने पासवर्ड, पिन, और OTP किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत बैंक को सूचना देनी चाहिए।

असुरक्षित नेटवर्क से बचें: असुरक्षित Wi-Fi पर बैंकिंग लेनदेन से बचना चाहिए और घोटालों के बारे में जागरूक रहना चाहिए।

तत्काल रिपोर्टिंग: धोखाधड़ी होने पर जितनी जल्दी हो सके बैंक को सूचित करने से नुकसान की भरपाई में मदद मिलती है, और देरी होने पर ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

fu; led v f d kuw cor z dhft Eeskj

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सुरक्षा नियम बनाता है और बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के माध्यम से ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां (जैसे CBI, पुलिस) : बैंक द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर ये एजेंसियां धोखाधड़ी की जांच करती हैं और अपराधियों पर कार्रवाई करती हैं।

संक्षेप में: बैंक धोखाधड़ी एक साझा जिम्मेदारी है, जिसमें बैंक सुरक्षा प्रदान करने और ग्राहक सतर्क रहकर अपनी भूमिका निभाते हैं, जबकि नियामक संस्थाएँ नियमों का पालन करवाती हैं।

d ky k l y e d s g k g S

बैंक का लोन सेटलमेंट तब होता है जब आप पूरी बकाया राशि चुकाने में असमर्थ होने पर बैंक से कम राशि में लोन चुकाने का समझौता करते हैं; इसकी प्रक्रिया में बैंक से संपर्क करना, अपनी वित्तीय स्थिति के दस्तावेज देना, बातचीत करना (आमतौर पर मूलधन का 30-70% तक), लिखित समझौता प्राप्त करना

और सहमत राशि का भुगतान करना शामिल है, लेकिन यह आपके सिबिल स्कोर (CIBIL Score) पर बुरा असर डालता है और भविष्य के लोन को प्रभावित कर सकता है।

Process of Loan Settlement

अपनी खराब आर्थिक स्थिति (जैसे नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी) के कारण बैंक/फाइनेंस कंपनी के लोन ऑफिसर से मिलें या संपर्क करें। दस्तावेज जमा करें। अपनी आय, खर्चों और वित्तीय कठिनाई को साबित करने वाले दस्तावेज (जैसे सैलरी स्लिप, मेडिकल बिल, आय प्रमाण) दें।

बैंक को पूरी राशि चुकाने में असमर्थता बताएं और एकमुश्त

(One-time) भुगतान का प्रस्ताव दें। बैंक आपके प्रस्ताव पर विचार करेगा और बकाया राशि का कुछ हिस्सा (जैसे 30-70%) माफ करने का ऑफर दे सकता है।

Written Agreement

बैंक से एक लिखित 'सेटलमेंट लेटर' प्राप्त करें, जिसमें तय हुई राशि और शर्तों का उल्लेख हो। बिना लिखित समझौते के भुगतान न करें।

भुगतान करें : सहमत राशि का एकमुश्त भुगतान करें।

सेटलमेंट की पुष्टि : भुगतान के बाद बैंक से 'नो-ड्यूज सर्टिफिकेट' और खाते के 'सेटल' होने की पुष्टि लें।

Important Points

CIBIL स्कोर पर असर: सेटलमेंट आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर 'Settled' के रूप में दर्ज होता है, जिससे सिबिल स्कोर गिर जाता है और भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है।

अंतिम विकल्प: लोन सेटलमेंट को आखिरी विकल्प मानना चाहिए, पहले लोन रीस्ट्रक्चरिंग या अन्य विकल्पों पर विचार करें।

कानूनी प्रक्रिया : कुछ मामलों में, बैंक NPA (Non-Performing Asset) होने के बाद ही सेटलमेंट पर विचार करते हैं।

संक्षेप में, यह वित्तीय संकट में राहत दिला सकता है, लेकिन आपके क्रेडिट भविष्य के लिए एक बड़ा नकारात्मक निशान छोड़ जाता है, इसलिए सावधानी से ही इस रास्ते को चुनें।

एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट)



अंकिता सिन्हा

अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट

क्रेडिट

जबरदस्ती या क्रिमिनल ताकत से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बकाया की गैर-कानूनी वसूली का मुद्दा फाइनेंशियल और कानूनी माहौल में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हालांकि लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को कानूनी तरीकों इस्तेमाल के हिसाब से बकाया वसूलने का

अधिकार है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कर्ज लेने वालों को, तय कानूनी ढांचे के तहत सुरक्षित होने के बावजूद, बिना इजाजत के रिकवरी एजेंट या लेंडर्स की तरफ से काम करने का दावा करने वाले लोगों द्वारा धमकाया जाता है, जबरदस्ती घुसाया जाता है, डराया-धमकाया जाता है, गाली-गलौज की जाती है, या गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति जब्त की जाती है। ऐसे काम न केवल संविधान के तहत दिए गए बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि क्रिमिनल कानून के तहत संज्ञेय अपराध भी हैं, जिनमें हमला, क्रिमिनल धमकी, जबरदस्ती वसूली और बिना इजाजत घुसना, धोखा, न्यासभंग, लूट जैसे अपराध शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि रिकवरी की कोशिशों में पूरी तरह से सही तरीकों का पालन होना चाहिए, जिसमें यह जरूरी है कि बैंक सिर्फ ट्रेंड, रेगुलेटेड रिकवरी एजेंट ही रखें और परेशान करने या जबरदस्ती

करने के तरीकों के इस्तेमाल पर साफ तौर पर रोक लगाई जाए। इन नियमों से कोई भी फर्क रेगुलेटरी गाइडलाइंस का उल्लंघन होने के साथ-साथ क्रिमिनल मिसकंडक्ट भी माना जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कर्ज की रिकवरी-चाहे वह NPA के तौर पर क्लेसिफाई किया गया हो या किसी और तरह से सही प्रोसेस के हिसाब से होनी चाहिए, और किसी भी क्रेडिटर को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इस बैकग्राउंड में, NPA रिकवरी के लिए क्रिमिनल फोर्स का गैर-कानूनी इस्तेमाल न सिर्फ अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल है, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी, कानून के राज और पब्लिक सेफ्टी के लिए भी सीधा खतरा है। इसलिए, अकाउंटेबिलिटी पक्का करने और इसमें शामिल सभी पार्टियों के लिए कानूनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे गैर-कानूनी तरीकों को पहचानना, डॉक्यूमेंट करना और सही तरीके से निपटना जरूरी है।

, ui h D kgS

एनपीए (NPA - Non-Performing Asset) रिकवरी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थान अपना फंसा हुआ कर्ज (जो 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं चुकाया गया है) उधारकर्ता या गिरवी संपत्ति को बेचकर वापस वसूलते हैं। यह बैंक की वित्तीय स्थिरता और नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यह प्रक्रिया SARFAESI एक्ट, लोक अदालत, या दिवाला संहिता (IBC) के तहत कानूनी नोटिस, संपत्ति की नीलामी और समझौते (OTS) के माध्यम से की जाती है। जब कोई लोन या एडवांस 90 दिनों (3 महीने) से अधिक समय तक चुकाया नहीं जाता है, तो बैंक उसे एनपीए या "गैर-निष्पादित परिसंपत्ति" घोषित कर देता है। उधारकर्ता ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है, जिससे वह संपत्ति बैंक के लिए आय पैदा करना बंद कर देती है।

, ui h fj d oj hçfØ; kD kgS

NPA का अर्थ ऐसा कोई एसेट है जो प्रदर्शन करने में विफल रहता है और बैंक के लिए राजस्व नहीं उत्पन्न कर सकता है। बैंकों के लिए लोन एसेट हैं क्योंकि उधारकर्ता बैंक को भुगतान करने वाला ब्याज उनकी आय का स्रोत है। कोई भी उपभोक्ता जो ब्याज का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे बैंक द्वारा "गैर-प्रदर्शन" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं।

एनपीए वसूली में प्रमुख कानूनी कार्रवाइयां:

1. खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना (90 दिन बकाया)
2. कानूनी मांग नोटिस जारी करना
3. सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई — धारा 13(2) और 13(4)
4. गिरवी रखी गई संपत्तियों पर कब्जा
5. संपत्ति का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य का निर्धारण
6. गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी और बिक्री
7. दाखिल करना

, ui h l st vAd n t : j hl oky

ç' u&1- D k ge , ui h dsckn yks l sy dj l drsgS

हाँ, आप किसी ऋण को एनपीए घोषित होने के बाद भी चुका सकते हैं।

ç' u&2- fj d oj hD, kat : j hgS Why is it necessary %

- वित्तीय स्थिरता : फंसे हुए कर्ज को वापस पाने से बैंक का पैसा वापस आता है और लाभप्रदता बनी रहती है।
- नकदी प्रवाह : यह गैर-तरल संपत्तियों को नकदी में बदलकर नकदी प्रवाह को सकारात्मक बनाता है।
- ऋण देने की क्षमता : रिकवरी से बैंक के पास नए ऋण देने के लिए पर्याप्त धनराशि बनी रहती है।

ç' u&3- fj d oj hd S sgks hgS How is it done %

बैंक एनपीए वसूली के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं :

- SARFAESI एक्ट, 2002 (SARFAESI Act) : इसके तहत बैंक कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना गिरवी रखी गई संपत्ति को सीधे जब्त करके नीलाम कर सकते हैं।
- लोक अदालत (Lok Adalat) : छोटे कर्ज के मामलों के लिए, आपसी समझौते के माध्यम से समाधान निकालने के लिए लोक अदालतों का उपयोग किया जाता है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) : इसमें कानूनी कार्यवाही के माध्यम से संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC, 2016) : बड़े एनपीए के लिए, यह एक व्यापक कानून है जो दिवालियापन के मामलों को संभालता है।
- एकमुश्त समाधान (OTS & One Time Settlement) : बैंक और उधारकर्ता के बीच एक निश्चित राशि पर सहमति बनाकर समझौते के माध्यम से कर्ज की

वसूली की जाती है।

ukS % यदि ऋण सुरक्षित (secured) है, तो बैंक के पास इन कानूनी रास्तों के माध्यम से पैसे वसूलने के मजबूत अधिकार होते हैं।

ç' u&4- c f d a dh -f'V l s , ui h % S&fu"i kfnr i fj l afuk k d kgS

बैंकिंग में एनपीए बैंकों द्वारा दिए गए ऐसे ऋण होते हैं जो उधारकर्ता द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण कोई राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं। इसमें 90 दिनों से अधिक समय से बकाया भुगतान शामिल हैं।

ç' u&5- , ui h % S&fu"i kfnr i fj l afuk k d r uscd k d sgks sgS

- घटिया एनपीए : वह विशेष एनपीए जो 12 महीने से कम या उसके बराबर समय तक अतिदेय रहता है।
- संदिग्ध एनपीए : वह एनपीए जो 12 महीने या उससे कम समय तक घटिया एनपीए की श्रेणी में रहता है।
- हानि परिसंपत्तियाँ : हानि परिसंपत्तियाँ तब होती हैं जब एनपीए को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसार बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उठाए गए नुकसान के रूप में मान्यता दी गई है।

ç' u&6- c f l , ui h dh fuxj kuh v k S V f d d S d j r sgS

भारत में बैंक सिर्फ कर्जों के डूब जाने का इंतजार नहीं करते। वे नियमित रूप से खातों की जाँच करते हैं कि कहीं भुगतान में देरी तो नहीं हो रही। अगर कोई देरी करता है, तो बैंक रिमाइंडर भेज सकता है या पुनर्भुगतान योजनाओं के बारे में बात कर सकता है। व्यवसायों के लिए, बैंक समस्याओं का जल्द पता लगाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति पर नजर रखते हैं।

तकनीक भी मदद करती है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर बकाया भुगतानों की सूचना देता है, जिससे बैंक तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। एनपीए की निगरानी जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा फंसे हुए कर्ज बैंक की नए कर्ज देने की क्षमता को

सीमित कर सकते हैं। नजर रखकर, बैंक छोटी-छोटी देरी को अपने और कर्जदारों, दोनों के लिए बड़ी समस्या बनने से रोक सकते हैं।

उपरोक्त, विभिन्न न्यायाधिकरणों और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों का उपयोग तेजी से निपटान प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।

अधिक ऋणों को एनपीए श्रेणी में जाने से रोकने के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए निवारक उपाय इस प्रकार हैं—

- किसी व्यक्ति/निगम को ऋण या वित्त प्रदान करने से पहले उसका CIBIL स्कोर लेना।
- विभिन्न निपटान योजनाओं का समझौता या उपयोग।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों का उपयोग तेजी से निपटान प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।
- डिफॉल्टर्स की जानकारी सक्रिय रूप से प्रसारित की जानी चाहिए ताकि वे कहीं और से कोई अन्य ऋण/वित्त का विकल्प न चुन सकें।
- एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की सेवाओं का उपयोग करना।
- बड़े एनपीए स्टाम्पिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के कार्यान्वयन जैसे कानूनी सुधारों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।
- सीडीआर का उपयोग – कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन।
- निधियों के विचलन/चूक से संबंधित दिशा-निर्देश प्रस्तावित करना।

उपरोक्त, विभिन्न न्यायाधिकरणों और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों का उपयोग तेजी से निपटान प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।

एनपीए स्टैम्पिंग को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए प्राथमिक उपाय इस प्रकार हैं :

- ऋणदाताओं के समुदाय को समाधान

योजना के लिए सख्त समयसीमा का पालन करना चाहिए।


- ऋणदाताओं को चल रही समाधान योजनाओं पर सहमति देने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।
- वर्तमान पुनर्गठन प्रक्रिया, बड़े मूल्यों के पुनर्गठन आदि में सुधार के लिए पहल की जानी चाहिए।
- ऋणदाताओं के साथ सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं के लिए भविष्य में उधार लेना अनिवार्य रूप से अधिक महंगा बनाया जाना चाहिए।
- परिसंपत्ति की बिक्री को अनिवार्य रूप से अधिक उदार विनियामकीय व्यवस्था दी जानी चाहिए।
- यदि हानि का खुलासा किया जा रहा है, तो ऋणदाताओं को बिक्री पर होने वाली हानि को कम से कम दो वर्षों तक फैलाने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए।
- 'तनावग्रस्त कंपनियों' के अधिग्रहण के लिए विशेष संस्थाओं द्वारा लीवरेज बायआउट की अनुमति आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए।
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के बेहतर कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
- निजी इक्विटी/क्षेत्र-विशिष्ट कंपनियों को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के बाजार में बहुत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

Conclusion 1/2

भारत में कानूनी और न्यायिक ढांचा बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) रिकवरी के गैर-कानूनी या दबाव वाले तरीकों में शामिल होने से रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय देता है। हालांकि कर्ज देने वालों के पास SARFAESI एक्ट, कर्ज वसूली और दिवालियापन

एक्ट, और RBI की समझदारी भरी गाइडलाइंस जैसे कानूनों के तहत कानूनी शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल सही प्रक्रिया और संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में सख्ती से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि रिकवरी की कार्रवाई/चाहे वह एसेट्स की जब्ती हो, नीलामी हो, या डिमांड नोटिस हो/में प्रक्रियागत निष्पक्षता, पारदर्शिता और समझदारी का पालन होना चाहिए। कोई भी बदलाव, जैसे कि ताकत का इस्तेमाल, डराना-धमकाना, बिना इजाजत कब्जा, या कर्जदार के अधिकारों का उल्लंघन, अधिकार का गलत इस्तेमाल माना जाता है और न्यायपालिका इसे रद्द कर सकती है। न्यायिक निगरानी मनमानी रिकवरी के तरीकों पर एक जरूरी रोक का काम करती है, यह पक्का करती है कि क्रेडिट अनुशासन और कर्जदार की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। कर्ज लेने वालों के पास रिट पिटीशन, DRT अपील, कंज्यूमर फोरम और सिविल/क्रिमिनल शिकायतों के जरिए असरदार उपाय हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम में कानून के राज को मजबूत करते हैं। कुल मिलाकर, कानूनी सुरक्षा उपायों, RBI के नियमों और कानूनी दखल का मिला-जुला असर यह पक्का करता है कि बैंकों के पास बकाया वसूलने का कानूनी अधिकार तो है, लेकिन ऐसी वसूली हमेशा कानूनी, बिना दबाव वाली और नैचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के हिसाब से होनी चाहिए।

उपरोक्त, विभिन्न न्यायाधिकरणों और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों का उपयोग तेजी से निपटान प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।



भारत में बैंकिंग का इतिहास



दीपरंजन कुमार

अधिवक्ता
दिल्ली हाईकोर्ट
मो०-9911288671

भारत में बैंकिंग का इतिहास अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और विकासशील रहा है। समय के साथ यह प्रणाली पारंपरिक साहूकारों से विकसित होकर आधुनिक डिजिटल बैंकिंग तक पहुँच गई है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्राचीन काल में संगठित बैंक तो नहीं थे, लेकिन साहूकार, महाजन और व्यापारी ऋण देने का कार्य करते थे। उस समय "हुण्डी प्रणाली" प्रचलित थी, जो एक प्रकार का लिखित भुगतान पत्र होता था। प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में ऋण, ब्याज और वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता कौटिल्य ने आर्थिक व्यवस्था के सुव्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किए थे।

आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में हुई। 1770 में Bank of Hindustan की स्थापना हुई, जिसे भारत का पहला बैंक माना जाता है। इसके बाद 1806 में Bank of Calcutta, 1840 में Bank of Bombay और 1843 में Bank of Madras स्थापित किए गए। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में Imperial Bank of India का गठन किया गया।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को संगठित रूप 1935 में मिला, जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और अन्य बैंकों का संचालन देखता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1955 में Imperial Bank of India का नाम बदलकर State Bank of India रखा गया। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इससे बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचीं और आम जनता को ऋण सुविधा उपलब्ध हुई।

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निजी और विदेशी बैंकों को कार्य करने की अनुमति दी गई। इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और तकनीकी विकास बढ़ा। HDFC Bank, ICICI Bank और Axis Bank जैसे निजी बैंकों ने आधुनिक सेवाएँ शुरू कीं।

आज भारत में डिजिटल बैंकिंग का युग है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी प्रणालियों ने लेन-देन को सरल और तेज बना दिया है। वर्तमान में भारत की बैंकिंग प्रणाली विश्व की मजबूत और उन्नत प्रणालियों में गिनी जाती है।

1969 eacbi j kVh dj . k %Qk nsvk\$ udl ku

1969 में भारत की बैंकिंग व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना और आर्थिक

असमानता को कम करना था। उस समय अधिकांश बैंक बड़े उद्योगपतियों और शहरी क्षेत्रों तक सीमित थे, जिससे ग्रामीण और गरीब वर्ग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे।

राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक हुआ। हजारों नई शाखाएँ गाँवों और छोटे कस्बों में खोली गईं। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों को ऋण प्राप्त करना आसान हुआ। पहले जहाँ बैंक केवल बड़े उद्योगों को ऋण देते थे, वहीं अब कृषि और लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इससे देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई और रोजगार के अवसर बढ़े।

राष्ट्रीयकरण से लोगों का बैंकों पर विश्वास भी बढ़ा। सरकारी नियंत्रण के कारण जमा धन अधिक सुरक्षित माना गया, जिससे बैंकों में जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। साथ ही, सरकार की विभिन्न योजनाओं— जैसे गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण ने सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया।

हालाँकि, इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी सामने आए। सरकारी नियंत्रण बढ़ने से कई बैंकों की कार्यकुशलता प्रभावित हुई। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो गई और प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ीं। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कई बार ऋण वितरण में पारदर्शिता की कमी देखी गई, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या उत्पन्न हुई। प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण सेवा गुणवत्ता में भी गिरावट आई और कुछ बैंक घाटे में चले गए, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा।

निष्कर्षतः, 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण भारतीय

अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम था। इसने बैंकिंग सेवाओं को जनसामान्य तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्थिक विकास को नई दिशा दी। यद्यपि इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी आईं, फिर भी यह निर्णय भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है।

। j d k j h c s i v k s f u t h c s i e a v a j

भारत में बैंकिंग व्यवस्था दो प्रमुख भागों में विभाजित है— सरकारी बैंक (Public Sector Banks) और निजी बैंक (Private Sector Bank)। दोनों का उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना है, लेकिन इनके संचालन, नियंत्रण और कार्यशैली में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं।

सरकारी बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें अधिकांश हिस्सेदारी सरकार की होती है। उदाहरण के लिए, State Bank of India एक प्रमुख सरकारी बैंक है। इन बैंकों का संचालन सरकार के नियंत्रण में होता है और इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। सरकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएँ खोलते हैं और सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके विपरीत, निजी बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें अधिकांश हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों या कंपनियों की होती है। जैसे HDFC Bank और ICICI Bank प्रमुख निजी बैंक हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और प्रतिस्पर्धा में आगे रहना होता है। निजी बैंक नई तकनीक और आधुनिक सेवाओं को जल्दी अपनाते हैं, जिससे ग्राहकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएँ मिलती हैं।

सेवा गुणवत्ता की दृष्टि से निजी बैंक अक्सर तेज कार्यप्रणाली और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए जाने जाते हैं, जबकि सरकारी बैंकों में कभी-कभी प्रक्रियाएँ धीमी हो सकती हैं।

हालांकि, सरकारी बैंकों में जमा धन को अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि उन पर सरकार का समर्थन होता है।

ब्याज दरों और शुल्कों में भी अंतर देखा जा सकता है। निजी बैंक कभी-कभी अधिक सेवा शुल्क लेते हैं, जबकि सरकारी बैंक अपेक्षाकृत कम शुल्क पर सेवाएँ प्रदान करते हैं। रोजगार की दृष्टि से भी सरकारी बैंकों में नौकरी अधिक स्थिर मानी जाती है, जबकि निजी बैंकों में प्रदर्शन के आधार पर अवसर मिलते हैं।

निष्कर्षतः, सरकारी और निजी दोनों बैंकों की अपनी-अपनी विशेषताएँ और सीमाएँ हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकता, सुविधा और विश्वास के अनुसार किसी भी बैंक का चयन कर सकता है। दोनों ही प्रकार के बैंक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

— . k 1 / 4 o a n 1 / 2 h c f i 0 ; k

आधुनिक समय में बैंकिंग व्यवस्था ने लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। घर बनाना हो, वाहन खरीदना हो, शिक्षा प्राप्त करनी हो या व्यवसाय शुरू करना हो— इन सभी कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। बैंक और वित्तीय संस्थाएँ लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान करती हैं। ऋण लेने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसका पालन करना आवश्यक होता है।

सबसे पहले व्यक्ति को यह तय करना होता है कि उसे किस प्रकार का ऋण चाहिए, जैसे गृह ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण या व्यक्तिगत ऋण। उद्देश्य स्पष्ट होने के बाद वह किसी बैंक का चयन करता है। उदाहरण के लिए, State Bank of India और HDFC Bank जैसे बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं। आजकल अधिकांश बैंक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार करते हैं।

दूसरे चरण में आवेदक को ऋण आवेदन पत्र भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट तथा पासपोर्ट आकार के फोटो शामिल होते हैं। यदि ऋण व्यवसाय के लिए है, तो व्यापार से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं।

इसके बाद बैंक आवेदक की वित्तीय स्थिति और क्रेडिट इतिहास की जाँच करता है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक की आय नियमित है और वह ऋण चुकाने में सक्षम है। इसके लिए बैंक क्रेडिट स्कोर और पूर्व ऋण रिकॉर्ड की भी जाँच करता है। यदि सभी शर्तें संतोषजनक होती हैं, तो बैंक ऋण स्वीकृत कर देता है और एक स्वीकृति पत्र जारी करता है, जिसमें ऋण राशि, ब्याज दर और भुगतान अवधि का उल्लेख होता है।

अंतिम चरण में आवेदक और बैंक के बीच एक औपचारिक समझौता होता है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ऋण राशि आवेदक के खाते में जमा कर दी जाती है या संबंधित कार्य के लिए सीधे भुगतान कर दिया जाता है। इसके पश्चात आवेदक को निर्धारित अवधि तक हर महीने ईएमआई (EMI) के रूप में ऋण की राशि चुकानी होती है।

निष्कर्षतः, ऋण की प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी होती है। यदि व्यक्ति के पास सही दस्तावेज, नियमित आय और अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड हो, तो ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसलिए ऋण लेते समय अपनी आर्थिक क्षमता और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

— . k p q j k u s e a l e L ; k v k u s i j c s i d k O o g k j

आज के समय में कई लोग घर, शिक्षा, वाहन या व्यवसाय के लिए ऋण लेते हैं। सामान्यतः लोग समय पर अपनी किस्तें (EMI) चुकाते हैं, लेकिन कभी-कभी आर्थिक कठिनाइयों, नौकरी छूटने, बीमारी या व्यवसाय में घाटे के

कारण ऋण चुकाने में समस्या आ सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक का व्यवहार और उसकी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है।

जब किसी ग्राहक की EMI समय पर जमा नहीं होती, तो बैंक सबसे पहले उसे फोन कॉल, संदेश या लिखित सूचना के माध्यम से याद दिलाता है। बैंक का उद्देश्य प्रारंभ में ग्राहक को भुगतान के लिए प्रेरित करना होता है, न कि तुरंत कानूनी कार्रवाई करना। यदि ग्राहक बैंक से संपर्क कर अपनी समस्या स्पष्ट करता है, तो बैंक अक्सर समाधान खोजने की कोशिश करता है।

ऐसी स्थिति में बैंक कुछ विकल्प प्रदान कर सकता है, जैसे ऋण पुनर्गठन (Loan Restructuring), EMI की अवधि बढ़ाना, कुछ समय के लिए भुगतान स्थगित करना (Moratorium), या किस्त की राशि कम करना। कई बैंक, जैसे State Bank of India और HDFC Bank, ग्राहक की परिस्थितियों के अनुसार पुनर्भुगतान योजना में बदलाव की सुविधा देते हैं।

यदि लंबे समय तक भुगतान नहीं किया जाता और ग्राहक बैंक से संपर्क भी नहीं करता, तो बैंक सख्त कदम उठा सकता है। बैंक खाते को "डिफॉल्टर" घोषित किया जा सकता है, जिससे ग्राहक का क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। लगातार चूक की स्थिति में बैंक कानूनी नोटिस भेज सकता है और संपत्ति गिरवी होने पर उसे जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है।

हालाँकि, बैंक को भी भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करना होता है। वह किसी भी प्रकार की अनुचित या अपमानजनक वसूली नहीं कर सकता। ग्राहक के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना बैंक की जिम्मेदारी है।

निष्कर्षतः, यदि ऋण चुकाने में समस्या आए तो ग्राहक को बैंक से छिपने के बजाय तुरंत संपर्क करना चाहिए। खुलकर बातचीत करने से अक्सर समाधान निकल आता है। बैंक और

ग्राहक के बीच सहयोग और पारदर्शिता से आर्थिक कठिनाइयों का सामना बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े चुनौतियाँ

वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक के विकास के साथ बैंकिंग व्यवस्था भी ऑनलाइन हो गई है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। चाहे वह State Bank of India हो या HDFC Bank, लगभग सभी बैंक ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग से जहाँ अनेक सुविधाएँ मिली हैं, वहीं कुछ हानियाँ भी सामने आई हैं।

सबसे पहले, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाओं की बात करें तो यह समय और श्रम की बचत करती है। पहले बैंक में छोटी-सी प्रक्रिया के लिए लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब पैसे भेजना, बिल भरना, बैलेंस चेक करना या खाता विवरण देखना कुछ ही मिनटों में संभव है। ऑनलाइन बैंकिंग 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिससे ग्राहक किसी भी समय लेन-देन कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली, जैसे UPI और मोबाइल बैंकिंग, ने लेन-देन को तेज और सरल बना दिया है। इससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है।

दूसरी ओर, ऑनलाइन बैंकिंग की कुछ हानियाँ भी हैं। साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा बढ़ गया है। यदि ग्राहक सावधानी न बरतें, तो उनके बैंक खाते से धन की चोरी हो सकती है। कई बार तकनीकी खराबी या सर्वर समस्या के कारण लेन-देन में बाधा आती है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों या बुजुर्ग लोगों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना कभी-कभी कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्हें तकनीकी ज्ञान की कमी होती है।

निष्कर्षतः, बैंक के ऑनलाइन होने से सुविधाएँ

अधिक और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सुरक्षा और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि ग्राहक सावधानीपूर्वक डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें, तो ऑनलाइन बैंकिंग आधुनिक जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था का सुचारु रूप से चलाने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। ये कानून बैंकों के कार्य, ग्राहकों के अधिकार, सुरक्षा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संचालन मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियंत्रण में होता है।

सबसे प्रमुख कानून बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) है। यह अधिनियम बैंकों की स्थापना, प्रबंधन और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। इसके माध्यम से RBI को बैंकों की निगरानी और दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

दूसरा महत्वपूर्ण कानून भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) है। इसके अंतर्गत RBI की स्थापना हुई और उसे देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करने तथा बैंकिंग प्रणाली की देखरेख करने का अधिकार दिया गया।

ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी ग्राहक को बैंक की सेवा से शिकायत हो, तो वह RBI के लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) भी बैंक ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन की

सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) लागू है। यह अधिनियम साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।

इसके अतिरिक्त, SARFAESI अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act) बैंकों को यह अधिकार देता है कि यदि कोई उधारकर्ता ऋण नहीं चुकाता, तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरवी रखी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं।

निष्कर्षतः, भारतीय कानून बैंकिंग सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये कानून न केवल बैंकों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि ग्राहकों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग प्रणाली कानूनों के मजबूत ढांचे पर आधारित है, जो देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बैंक चार्ज / Bank Charges

आज के समय में बैंकिंग सेवाएँ अधिकांश लोगों के लिए अनिवार्य हो गई हैं। खाते खोलने, लेन-देन करने या ऋण लेने पर बैंक अलग-अलग शुल्क वसूल करते हैं, जिन्हें सामान्यतः बैंक चार्ज कहा जाता है। कभी-कभी यह शुल्क अधिक या अनावश्यक लगता है, जिसे लोग मनमाना चार्ज भी कहते हैं।

बैंक चार्ज / Bank Charges

1. सेवा शुल्क (Service Charges)

बैंक अकाउंट में जमा और निकासी, चेक बुक, पासबुक या इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं के लिए सेवा शुल्क ले सकते हैं।

2. ATM और लेन-देन शुल्क

यदि ग्राहक अधिक बार ATM से पैसे निकालते हैं या अन्य बैंक के ATM का उपयोग करते हैं, तो बैंक अलग से चार्ज वसूल सकता है।

3. प्रति लेन-देन शुल्क (Transaction Charges)

ऑनलाइन लेन-देन, डेबिट/क्रेडिट कार्ड उपयोग, मोबाइल बैंकिंग और NEFT/RTGS जैसी सुविधाओं पर अलग शुल्क लग सकता है।

4. बकाया या लेट फीस (Penalty / Late Charges)

अगर EMI या ऋण किस्त समय पर नहीं भरी जाती, तो बैंक विलंब शुल्क ले सकता है।

बैंक चार्ज / Bank Charges

कुछ मामलों में बैंक बिना स्पष्ट सूचना या समझाए ग्राहक से अतिरिक्त शुल्क वसूल कर देते हैं। इसे अनुचित या मनमाना चार्ज कहा जा सकता है। RBI ने इस प्रकार के शुल्क को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए हैं। ग्राहक अपने खाते का स्टेटमेंट देखकर, RBI की शिकायत प्रणाली या बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करके अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

बैंक चार्ज / Bank Charges

बैंक के मनमाना चार्ज आमतौर पर बैंक की सेवाओं, सुविधा शुल्क या विलंब शुल्क के रूप में होते हैं। ग्राहक को अपने खाते की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी अनुचित शुल्क के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। सही जानकारी और जागरूकता से बैंकिंग चार्जों को नियंत्रित किया जा सकता है और ग्राहकों को अपनी वित्तीय स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी चाहिए।

यहाँ RBI के नियमों के अनुसार बैंक चार्जों की सूची और उनकी सीमा सरल तालिका में दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन से

शुल्क वैध हैं और कौन से अनुचित या "मनमाना" माने जा सकते हैं।

शुल्क का प्रकार संक्षिप्त विवरण RBI द्वारा सीमा / नियम ध्यान देने की बात

खाता संचालन शुल्क (Account Maintenance / AMC) चालू या बचत खाते के लिए मासिक / वार्षिक शुल्क बैंक स्पष्ट रूप से खाता खोलते समय बताना अनिवार्य है अगर बैंक बिना सूचना चार्ज बढ़ाए, तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं

चेक बुक शुल्क चेक बुक के प्रति पन्ने का शुल्क बैंक अपनी टैरिफ सूची में घोषित कर सकता है ग्राहकों को मुफ्त चेक बुक की संख्या का अधिकार हो सकता है (नए ग्राहकों के लिए)

ATM/पिन उपयोग शुल्क अपने या अन्य बैंक ATM से नकद निकालना अपनी बैंक ATM: सीमित मुफ्त निकासी प्रति माहय अन्य बैंक ATM: RBI निर्देशानुसार प्रति लेन-देन शुल्क यदि बैंक अधिसूचित सीमा से अधिक वसूले, तो शिकायत करें

ऑनलाइन लेन-देन (NEFT / RTGS / IMPS) ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का शुल्क NEFT: RBI ने 2020 के बाद ऑनलाइन NEFT में अधिकांश बैंक शुल्क मुक्त किया RTGS: रुपये 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन में शुल्क सीमित मोबाइल/नेट बैंकिंग में शुल्क की जानकारी बैंक को स्पष्ट रूप से देनी अनिवार्य

विलंब शुल्क / लेट फीस EMI या ऋण किस्त समय पर न चुकाने पर बैंक निर्धारित दर से ही लेट फीस वसूल सकते हैं; अत्यधिक दर अनुचित मानी जाती है ग्राहक RBI या बैंक कस्टमर केयर को सूचित कर सकते हैं

न्यूनतम बैलेंस शुल्क खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर बैंक ने खाते खोलते समय ग्राहक को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य बिना सूचना चार्ज लगाना अवैध है

अन्य सेवा शुल्क (Passbook, Demand Draft, Cheque Return) पासबुक, DD, चेक रिटर्न आदि पर शुल्क बैंक अपनी सेवा चार्ज सूची में घोषित कर सकते हैं शुल्क की राशि RBI निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए

egRoi vZckr a

1. बैंक किसी भी शुल्क को ग्राहक की जानकारी के बिना नहीं बढ़ा सकते।
2. अगर ग्राहक को लगता है कि शुल्क अनावश्यक या अधिक है, तो वे बैंक के ग्राहक सेवा विभाग या Banking Ombudsman Scheme के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
3. RBI समय-समय पर सार्वजनिक बैंकों और निजी बैंकों के शुल्कों पर नियम जारी करता है, जिससे ग्राहकों को सुरक्षा मिले।

cbi dseuekus' kyd dksde djusds mi k vls xtdg v f/dkj

1. शुल्क की पूरी जानकारी प्राप्त करें
 - खाता खोलते समय बैंक से संपूर्ण शुल्क तालिका मांगें।
 - ATM, ऑनलाइन लेन-देन, चेक बुक, मिनिमम बैलेंस आदि की सभी जानकारी लिखित रूप में रखें।
 - यह जानना आवश्यक है कि कौन सा शुल्क वैध है और कौन सा अतिरिक्त या मनमाना लग सकता है।

2. अपनी बैंक स्टेटमेंट नियमित जांचें

- महीने में एक बार पासबुक या ऑनलाइन स्टेटमेंट देखें।
- किसी भी अनजान या अतिरिक्त शुल्क को तुरंत नोट करें।

3. बैंक से संपर्क करें

- यदि कोई चार्ज अनुचित लगे, तो ग्राहक

सेवा (Customer Care) को कॉल या लिखित शिकायत भेजें।

- बैंक अक्सर गलती सुधार देता है यदि शुल्क अनजाने में लगाया गया हो।

4. डिजिटल वसूली पर सतर्क रहें

- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI लेन-देन में सुरक्षित पासवर्ड और OTP का उपयोग करें।
- किसी भी संदेहास्पद ट्रांजेक्शन को तुरंत बैंक को सूचित करें।

5. बैंकिंग लोकपाल / RBI की शिकायत

- यदि बैंक समाधान नहीं करता, तो Banking Ombudsman Scheme के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- RBI की वेबसाइट पर जाकर अनुचित शुल्क या मनमाने चार्ज की शिकायत की जा सकती है।

- यह ग्राहक का अधिकार है कि बैंक के अनुचित व्यवहार को रोका जाए।

6. सही बैंक और खाता योजना चुनें

- कुछ बैंक और खाता योजनाएँ न्यूनतम शुल्क और मुफ्त सुविधाओं के साथ आती हैं।
- अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक और खाता योजना चुनना अतिरिक्त शुल्क से बचने का सबसे आसान तरीका है।

euekuscbi 'kyd l scpusdsvk ku fVII

1. बैंक चार्ज तालिका पढ़ें

- खाता खोलते समय बैंक से पूरी शुल्क सूची मांगें।
- ATM, चेक बुक, ऑनलाइन लेन-देन और न्यूनतम बैलेंस शुल्क की जानकारी रखें।

2. स्टेटमेंट नियमित जांचें

- महीने में कम से कम एक बार बैंक स्टेटमेंट या पासबुक देखें।
- कोई अनजान या अतिरिक्त चार्ज दिखे तो तुरंत नोट करें।

3. ग्राहक सेवा से संपर्क करें

- कोई अनावश्यक शुल्क लगे तो बैंक के Customer Care को कॉल या लिखित शिकायत भेजें।
- अधिकतर मामलों में बैंक गलती सुधार देता है।

4. डिजिटल सुरक्षा अपनाएँ

- इंटरनेट बैंकिंग और UPI के लिए मजबूत पासवर्ड और OTP का उपयोग करें।
- किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन को तुरंत रिपोर्ट करें।

5. Banking Ombudsman का उपयोग करें

- बैंक समाधान नहीं करे तो Banking Ombudsman Scheme के माध्यम से शिकायत करें।
- RBI वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

6. सही खाता और बैंक चुनें

- न्यूनतम शुल्क और मुफ्त सुविधाओं वाले खाते चुनें।
- अपने लेन-देन और आवश्यकता के हिसाब से बैंक और खाता योजना तय करें।

7. EMI और ऋण समय पर चुकाएँ

- विलंब शुल्क से बचने के लिए ऋण किस्त (EMI) समय पर जमा करें।



धनश्याम

अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
संयुक्त संपादक, विधि विमर्श
मो०- 9162533006

कर्जदारों के कानूनी अधिकार: बैंकिंग वसूली प्रक्रिया का विधिक विश्लेषण

1- बैंकिंग

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ऋण वसूली की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विधायी प्रावधान लागू किए गए हैं। तथापि, व्यवहार में यह देखा गया है कि अनेक अवसरों पर बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ ऋण वसूली के नाम पर करजदारों के विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। यह लेख करजदारों को उपलब्ध विधिक संरक्षण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांतों का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

1- आर्थिक विकास

आर्थिक विकास के वर्तमान युग में ऋण व्यवस्था समाज की रीढ़ बन चुकी है। बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूली के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, किंतु इन शक्तियों का प्रयोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जाना अपेक्षित है। किसी भी परिस्थिति में ऋण वसूली मानवीय गरिमा एवं संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती।

2- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन एवं संपत्ति से वंचित न किए जाने की गारंटी प्रदान करता है। बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा की गई कोई भी वसूली कार्रवाई इस संवैधानिक संरक्षण के अधीन है।

उपरोक्त - "Vidya Mardia Chemicals Ltd. बनाम भारत संघ, (2004) 4 SCC 311 : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत भी करजदार को नोटिस एवं आपत्ति का अवसर देना अनिवार्य है।

3- त्रिजुट वसूली प्रक्रिया

ऋण वसूली के लिए बल प्रयोग, धमकी, अपमान या सामाजिक दबाव का प्रयोग विधि द्वारा निषिद्ध है। बैंक अपने रिकवरी एजेंटों के माध्यम से भी ऐसे कृत्यों से मुक्त नहीं हो जाते।

उपरोक्त - "Vidya"

ICICI Bank Ltd. बनाम शांति देवी शर्मा, (2008) 12 SCC 705: न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि रिकवरी एजेंटों द्वारा की गई अवैध वसूली के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

4- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों

में करजदार की निजता, सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा को विशेष महत्व दिया गया है।

उपरोक्त - "Vidya" / Manager, ICICI Bank बनाम प्रकाश कौर, (2007) 2 SCC 711 : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करजदार की गरिमा को संवैधानिक मूल्य मानते हुए कठोर शब्दों में अवैध वसूली की निंदा की।

5- SARFAESI अधिनियम

यद्यपि SARFAESI अधिनियम बैंकों को ऋण वसूली हेतु प्रभावी उपाय प्रदान करता है, तथापि करजदार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं—

- धारा 13 (2) के नोटिस पर उत्तर देने का अधिकार
- धारा 13(3A) के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार
- धारा 17 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण में अपील का अधिकार

6- ऋण वसूली प्रक्रिया

ऋण वसूली की प्रक्रिया में बैंक तृतीय पक्षों के विधिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकता।

उपरोक्त - "Vidya" / Harshad Govardhan Sondagar dl International Assets Reconstruction Co. (2014) 6 SCC 1 न्यायालय ने वैध किरायेदारों एवं कब्जाधारियों के अधिकारों की रक्षा की।

7- प्रत्येक प्रशासनिक अथवा अर्ध-न्यायिक कार्रवाई

कारण युक्त एवं न्यायसंगत होनी चाहिए।

उपरोक्त - "Vidya" / State Bank of India बनाम श्री Developers, (2019) 6 SCC 787: बैंक को कर्जदार की आपत्तियों पर तर्कसंगत एवं लिखित उत्तर देना अनिवार्य बताया गया।

8- करजदार निम्नलिखित विधिक उपायों का सहारा ले सकता है—

- ऋण वसूली अधिकरण में अपील
- उच्च न्यायालय में रिट याचिका
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत
- आपराधिक विधिक कार्यवाही, यथोचित परिस्थितियों में

9- यह स्पष्ट है कि बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन एवं ऋण वसूली आवश्यक है, किंतु यह उद्देश्य करजदार के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों का अतिक्रमण कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णय इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि विधि के शासन के अंतर्गत ही आर्थिक अनुशासन सुनिश्चित किया जा सकता है।



Vikash Kumar

Advocate, Patna High Court
Mob.: 9135874883

The Rights of a Loan Defaulter:

A Comprehensive Legal Guide

Introduction:

The Legal Nature of Default in the Indian banking system, a loan default is fundamentally a civil breach of contract, not a criminal offense (except in cases of fraud or bounced cheques under Section 138 of the Negotiable Instruments Act). While banks have the right to recover public money, they do not have the right to violate the fundamental rights of a citizen under Article 21 (Right to Life and Dignity) of the Constitution.

Key Rights of a Loan Defaulter (with Legal Provisions)

1. Right to Notice (The Procedural Shield)

The Fair Practices Code (FPC) is a mandatory RBI-regulated framework for banks and NBFC (Non-Banking Financial Company), ensuring transparency, fair treatment, and non-coercive, non-discriminatory lending practices.

- Banks must explicitly state all terms and conditions.
- ✓ Any change in interest rates or charges must be communicated prospectively, not retrospectively applied without notice. Before a bank can touch your assets, they must follow a

strict timeline. Surprise seizures are illegal.

Section 13(2) of the SARFAESI (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act) Act, 2002.

- ❖ Rule: Once a loan is classified as a Non-Performing Asset (NPA)—typically after 90 days of non-payment—the bank must issue a formal demand notice.
- Rights: You have 60 days from the date of this notice to clear the dues. During this period, the bank cannot enforce security (seize property).

New 2025 RBI Update: Recent guidelines emphasize a 30-day "Pre-Notice" before initiating SARFAESI proceedings to allow for rectification or One-Time Settlement (OTS) discussions.

2. Right to Make Representation (Right to be Heard)

Section 13(3A) of the SARFAESI Act.

- ❖ Rule: If you believe the Section 13(2) notice is incorrect (wrong calculation of dues, wrong classification of NPA), you can send a written objection (Representation) to the bank.
- Rights: The bank is legally mandated to reply to your objection within 15 days, stating valid reasons for accepting or

rejecting it. If they ignore your letter and proceed to seize property, the seizure can be challenged in the Debt Recovery Tribunal (DRT).

- ✍ **ITC Limited v. Blue Coast Hotels Ltd. -CIVIL APPEAL Nos. 2931-2933 OF 2018 [Arising out of SLP (C) Nos. 10196-10198/2016]:** Ruled that Section 13(3A) (mandatory reply to borrower's representation) is mandatory. If the bank fails to reply, the entire subsequent proceeding is void.

3. Right to Humane Treatment (Protection from Harassment)

This is the most critical protection against "Gundas" or abusive recovery agents.

RBI Circular on "Recovery Agents engaged by Banks" (Updated 2024-25).

- ☒ Prohibited Acts:
 - Calling before 8:00 AM or after 7:00 PM.
 - Intimidating the borrower or their family.
 - Visiting the borrower's office to create a scene.
 - Humiliating the borrower publicly or informing neighbours/relatives of the debt.

Remedy

A borrower can file a complaint with the Banking Ombudsman or an FIR under:-
BNS Section-351 (formerly IPC

503/506): Deals with Criminal Intimidation.

- ❖ If a recovery agent threatens injury to the borrower's person, reputation, or property, it is a criminal offense.
- ❖ If a recovery agent's words cause you "alarm" regarding your safety or reputation, the crime of Criminal Intimidation is complete. You do not need to wait for them to hit you.
- ❖ If agents call from "Private Numbers" or hide their identity to threaten you, the punishment is stricter.

Banks must record the content of calls made by recovery agents.

BNS Section-352 (formerly IPC 504): Intentional insult with intent to provoke breach of peace.

BNS Section-127 (formerly IPC 341): Wrongful restraint (e.g., agents blocking your car or path).

Article 21 of the Constitution of India

Right to Life & Dignity: The Supreme Court has interpreted Article 21 to mean that a person cannot be stripped of his dignity merely because he is in debt.

- ✍ This allows High Courts to intervene via Writ Petitions

(Article 226) if a bank acts arbitrarily or violates fundamental rights, even if SARFAESI proceedings are ongoing.

Mardia Chemicals Ltd. v. Union of India AIR ONLINE 2004 SC 948

Upheld the constitutionality of the SARFAESI Act but struck down the harsh condition that required borrowers to deposit 75% of the claim just to file a case. It balanced the 'draconian' nature of the Act.

Satywati Tondon Case (2010) 8 SCC 110: Clarified that High Courts should be cautious in interfering with SARFAESI matters and that borrowers must first exhaust the remedy at the DRT.

4. Right to Fair Valuation of Assets

Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

- ❖ Rule: Before auctioning your property, the bank must obtain a valuation from an approved valuer.
- Right: You have the right to know the Reserve Price (minimum auction price). If you feel it is undervalued to help a bank insider or third party, you can challenge this valuation in the DRT (Debt Recovery

Tribunal) or introduce a buyer willing to pay more.

5. Right to Balance Proceeds

Section 13(7) of the SARFAESI Act.

- Banks are not owners; they are trustees of the security.

e.g.,- If your loan due is ₹50 Lakhs and the bank sells your house/security for ₹80 Lakhs.

- Right: The bank must refund the surplus ₹30 Lakhs to you immediately. Keeping the surplus constitutes "Unjust Enrichment."

6. Right of Redemption

The borrower has the right to reclaim his property by paying the dues at any time before the publication of the auction notice.

Other Legal Remedies

Consumer Protection Act, 2019

- ❖ Banking is defined as a 'Service'.
- Right: A borrower can file a case for 'Deficiency of Service' if the bank loses original property documents, miscalculates interest, or engages in unfair trade practices.



संविधान निर्माता बाबा साहेब
डॉ. भीम राव अम्बेडकर

जयन्ती पर सभी पाठकों को ढेर सारी शुभकामनाएँ एवं बधाई।

डॉ अमित कु0 पसवान
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
मो0 - 7004802209



Satish Kumar

Advocate, Patna High Court.
Mob. No.- 8910921270

From Mis-selling to Misunderstanding: Banking Challenges for Home Loan Borrowers

Buying a flat or construction of own house remains a central aspiration for every Indian family, it represents financial security and economic progress. However, the journey from applying for a home loan to eventual repayment is often complex and fraught with challenges. Borrowers encounter not only financial hurdles but also mis-selling practices, regulatory gaps and legal ambiguities that can affect their rights and financial wellbeing. This article explores the multi-dimensional problems faced by home loan customers, ranging from mis-selling and lack of transparency to legal rights and remedies.

Home loans are long-term financial commitments provided by banks and housing finance companies (HFCs). They require careful evaluation of income, property title and repayment capacity. Borrowers must navigate strict documentation, legal verification of property and lender policies before approval. For many customers especially in rural and informal sectors, challenges begin even before application due to various documentation issues such as Informal income sources (e.g., agriculture and seasonal work) make it hard to meet formal documentation criteria. Traditional income proofs like pay slips and IT returns are often

unavailable, affecting loan eligibility. Property title issues such as missing No Due Certificates or disputed ownership often lead to loan rejection or delays.

Some of the issues faced by the Home Loan Borrowers are given hereunder:

Mis-selling of Financial Products: Mis-selling refers to situations where financial products are sold in a deceptive, coerced, or unclear manner often without the customer's informed consent. Bundling Insurance with Home Loans is one of the most common complaints in recent years has been about banks and HFCs bundling insurance policies with home loans. Many borrowers are unaware that Insurance policies tied to home loans aren't mandatory. Some bank branches have been known to impose insurance products without explicit explanation or understanding of terms. Reserve Bank of India (RBI) proposed stricter norms to protect customers from mis-selling, including prohibiting forced product bundling and the National Housing Bank (NHB) have flagged such bundled insurance practices, requiring that borrowers be offered multiple options and explicit consent be obtained.

Misunderstanding Due to Lack of Transparency: Even when products aren't outright mis-sold, poor communication by bank officials can lead to confusion, the hidden charges and unexpected requirements. Many borrowers report being informed of only basic costs (like processing fees) but are later asked to pay for additional services without prior notice in the form of documentation charges, searching fees and valuation fees etc.

Interest Rate Miscommunication: Some customers allege that loan officers promote attractive interest rates verbally, only for the final documentation to reveal higher effective rates, a practice that can significantly increase total repayment burden to the borrower. The interest rates which can increase in future due to floating in nature is also not clearly communicated to the borrowers.

Cross-Selling of Irrelevant Products: Incidents of bank officials pushing products such as Demat accounts or credit cards or other financial products as prerequisites for favorable loan terms have been reported.

Legal and Documentation Issues: Banks conduct due diligence on property titles through legal searching of the property but lapses have been reported due to not following proper due diligence by the bank officials. A borrower's property which is financed by the bank and later on the property was lost in the Court due to an undetected prior mortgage, shows lack of due diligence from the financier. The borrower depends on the bank for title searching and valuation of property, especially for purchase of a flat. The property title search should be properly done as it not only increases the risk to the borrower but also for the bank which is dealing with public money.

Borrower Rights & Remedies:

Borrowers in India are protected by several regulatory and legal mechanisms. The doctrine of "Buyer Beware" is known in legal terminology as Caveat Emptor (Latin for "let the buyer

beware”). It means that the buyer purchases goods or property at his own risk and the seller is not automatically responsible for defects unless certain legal conditions apply. Under common law, the principle required the buyer to exercise due diligence, inspect goods before purchase, verify title and quality. If the buyer failed to check and later found defects, he could not complain unless the seller had committed fraud. This doctrine was widely applied in Sale of goods. The modern law has diluted this doctrine significantly, the seller cannot hide behind 'buyer beware' in these situations like when buyer relies on seller's skill or judgment, when goods are sold by description, when goods are sold by sample, when there is fraud or misrepresentation, when there is latent (hidden) defect and when there is active concealment, Thus, law has moved from Caveat Emptor to Caveat Venditor (“Let the seller beware”). Traditionally in property law the Buyer had the duty to verify title. The buyer had a duty to check encumbrances. The buyer had a duty to inspect the property. However, with modern statutes like Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, Consumer Protection Act, 2019. The burden has shifted towards builder accountability. Now, Builder must disclose approvals, Builder must register a project, Builder must disclose litigation, Builder must follow a sanctioned plan. So in real estate, the doctrine is substantially weakened. The Court has repeatedly held that unfair clauses cannot be enforced against home buyers. The Court has held that one-sided agreements are unfair. Builders cannot exploit buyers under unequal bargaining power. This reflects a shift away from strict caveat emptor to caveat venditor. In home loans, earlier thinking was borrower signed agreement, borrower is bound as per buyer beware doctrine. Now Regulator RBI and Court say, banks must disclose loan terms

clearly, no hidden charges should be levied, no unfair foreclosure penalties, transparent interest reset clauses even for floater interest rates. If mis-selling occurs, consumer protection principles apply. Modern Indian jurisprudence favours consumer protection over strict buyer responsibility.

If a bank's action or omission foreseeably harms a borrower and reasonable care was not taken, liability may arise. In banking relationships, duty of care applies, it means a bank must act with reasonable skill with due diligence without negligence in accordance with regulatory standards in good faith. However, the bank-borrower relationship is generally considered contractual, not fiduciary unless special circumstances exist. In home loans, duty of care may arise in the areas like Title search, Banks conduct legal scrutiny of property. If the bank negligently clears defective title, Bank's due diligence is primarily for its own security but if borrower reasonably relied on bank's verification, negligence may attract liability. In property valuation, Banks appoint approved valuers. If property valuation is grossly inflated and due diligence is mechanically done. If collusion exists between them, the borrower may allege negligent appraisal, deficiency of service under The Consumer Protection Act, 2019. But normal market fluctuation does not amount to negligence. In case of mis-selling of loan products, If bank fails to explain floating rate risks, hides reset clauses, bundles insurance and other financial products with the home loan without proper consent of the borrower and transparency, fair disclosure, suitability assessment is missing from the end of bank or HFC, the aggrieved borrower can move for their grievance redressal to the appropriate authorities as given below:

Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, 2021: It is an RBI-managed dispute resolution process for complaints regarding unfair practices in banking sector, it is a fast track complaint redressal forum. It provides an independent forum for customer complaints against banks. The aggrieved customer must first complain directly to the bank, if not resolved within 30 days or if the reply is unsatisfactory, a complaint can be filed with the Ombudsman online via the complaint management system (CMS) portal. If the customer is still not satisfied with the decision of the Ombudsman, an appeal can be filed with the RBI's Appellate Authority within 30 days.

Consumer Disputes Redressal Commission (earlier Consumer Forum): It is three tier quasi-judicial bodies at District Level, State Level and National Level formed under the Consumer Protection Act, 2019. The aggrieved borrowers can approach CDRC for compensation or rectification of unfair practices or deficiency in the services of the bank.

Some Key Points for the Awareness and Protection of Home Loan Borrowers is given below:

Before applying a home loan understand all the costs including processing fees, insurance cost, legal searching, valuation fees and documentation charges. Verify the loan terms and conditions in writing while dealing with DSA or Home loan marketing executive. It is better to compare offers from multiple lenders or banks. Carefully read the terms and conditions of the Home loan. Understand and assess the requirement of margin money, loan amount and tenure of loan as per your own requirement. Avail moratorium period, if required for reducing the initial burden for EMI. Ask the bank for written explanations when

unclear on any relevant terms. Retain all the official communications and documents as the home loan is a long term contract that runs for 20 years or longer tenure. Collect the copies of the property documents, arrangement letter and loan agreement copies along with the amortization table. If the home loan is covered under any life insurance plan taken along with home loan avail the copy of insurance policy from the bank. The bank also asks for general insurance policies like Fire and Earthquake policy of the house/ flat, if coverage availed through the bank collect the general

insurance policy documents. In case of mis-selling of insurance products, use the free-look period to cancel mis-sold insurance policies. File complaints with the RBI Ombudsman or consumer courts (CDRC) if necessary.

Conclusion:

For home loan borrowers' challenge extend beyond just interest rates. Mis-selling, non transparent practices and legal complexities combine to create a landscape that demands vigilance, awareness and stronger regulatory safeguards. While RBI draft Amendment

Directions for Advertising, Marketing and Sales of Financial Products and Services by Regulated Entities and also RBI draft Directions on the Conduct of Regulated Entities in Loan Recovery progresses toward protecting customer rights and borrowers' rights. Understanding these challenges and rights empowers home loan borrowers to make informed decisions transforming the dream of home ownership into a secure reality rather than a stressful financial journey.

Back to Basics in the Age of Artificial Intelligence: A Message to Bihar's Judicial Aspirants and Young Lawyers



Mayank Shekhar

Founder, Legal Bites
PhD Scholar, Faculty of Law,
University of Delhi

The legal profession today stands at an important crossroads. Artificial Intelligence has entered courtrooms, chambers, and classrooms alike, promising speed, access, and efficiency. Drafts are generated in seconds, judgments are summarised instantly, and research that once took hours can now be

completed within minutes. While this technological shift is inevitable and largely beneficial, it also presents a subtle but serious risk—the **gradual erosion of legal fundamentals**.

For judicial service aspirants and young lawyers in Bihar, this moment calls not merely for enthusiasm, but for thoughtful introspection.

AI Is a Tool, Not a Substitute for Legal Reasoning

Artificial Intelligence can assist a lawyer; it cannot *be* one. It does not understand the social realities of Bihar's trial courts, the nuances of witness testimony, or the discretionary application of procedural law. Most importantly, it does not possess legal reasoning rooted in constitutional values, statutory interpretation, or judicial conscience.

Judges do not decide cases on the basis of speed or vocabulary; they decide them on

clarity of thought, correctness of law, and consistency with precedent. These qualities are cultivated through sustained engagement with **bare acts, foundational principles, and judicial reasoning**, not through dependence on automated outputs.

Why Fundamentals Still Decide Judicial Careers

Whether it is criminal law, civil procedure, constitutional principles, or evidence, questions increasingly assess how well an aspirant understands the *why* behind the law.

No amount of technology can compensate for weak fundamentals in interpretation of statutes, appreciation of evidence, application of procedural safeguards and understanding the ratio of judgments.

An aspirant who has mastered the basics will always outperform one who merely possesses information.

Selective Study Is Not a Shortcut—It Is Strategy

One of the most common mistakes among aspirants is the belief that **more material means better preparation**. In reality, excessive sources often result in confusion, anxiety, and shallow understanding.

Successful judicial aspirants follow a disciplined approach:

- **Limited, authoritative sources**
- Repeated revision of core subjects
- Focused study of frequently tested areas
- Strategic coverage of recent judgments

Selective study does not mean incomplete study; it means **intelligent prioritisation**. In an age of information overload, discernment itself becomes a skill.

Quick Revisions Build Judicial Confidence

Revisions are the bridge between learning and performance. Many aspirants study extensively but revise inadequately, resulting in poor recall during examinations.

Short, frequent revisions especially of - Bare Act provisions, Important Doctrines, Landmark case laws and

Recent judicial trends are essential. The objective is not to remember everything, but to **recall the right thing at the right time**.

Recent Judgments: The Pulse of Contemporary Law

Courts are living institutions, and law evolves through judgments. Bihar judiciary examinations increasingly reflect contemporary judicial thinking, particularly in constitutional law, criminal jurisprudence, and procedural fairness.

Aspirants must therefore track recent Supreme Court and High Court rulings, understand the legal principles, not just outcomes, observe how courts balance rights, procedure, and justice. However, reading judgments mechanically serves little purpose. What matters is **understanding the ratio, the reasoning, and its applicability**.

Trial Courts: The Real Classroom of Law

For young lawyers, especially those practicing in Bihar's district courts, trial courts are the greatest teachers. No AI tool can replicate the experience of observing examination and cross-examination, framing of issues, application of procedural discretion and judicial temperament in live proceedings.

Young lawyers who ground themselves in fundamentals early

develop confidence, credibility, and courtroom clarity that technology alone cannot provide.

Moving Forward Without Losing Our Roots

The future of law will undoubtedly be shaped by technology. Ignoring AI would be imprudent—but surrendering intellectual responsibility to it would be dangerous. The legal profession demands **thinking lawyers and reasoned judges**, not automated outputs.

For Bihar's judicial aspirants and young lawyers, the path forward is clear:

- Strengthen your fundamentals
- Study selectively and revise consistently
- Engage deeply with recent judgments
- Use AI as an assistant, not as authority
- Practice extensively

In doing so, you will not only clear examinations—you will uphold the dignity and responsibility that the judicial office demands.

“Do not limit yourself to reading the law. Practise it, write it, and apply it—only then does true legal understanding emerge.”



नामांकन सूचना

स्थापित :
1990

अपने क्षेत्र में देश का प्रथम मान्यता प्राप्त संस्थान
**इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ
एडुकेशन एण्ड रिसर्च**

Health Institute Road, Beur, Patna-2
(Recognised by the Govt. of Bihar, RCI, IAP & ISPO)

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त

Cont. :- 9264459295, 7070096603, 9709999603/ www.iiher.com

Admission going on into following courses in Academic Session 2025-26

Name of Courses	Eligibility	Name of Courses	Eligibility	Name of Courses	Eligibility
MPT	BPT	BMLT	I.Sc. (Bio)	BMLT (LE)	DMLT
BPT	I.Sc. (Bio)	BRIT	I.Sc.	B.OPHTH (LE)	D.OPHTH
B.OPHTH	I.Sc. (Bio)	ABPT	DPT	BRIT (LE)	D. X-Ray
BASLP	I.Sc.	D.Ed.	10+2		



PATLIPUTRA VIDYAPEETH

Health Institute Road Near Central Jail & SBI, Anishabad, Beur, Patna-800 002

Affiliated to C.B.S.E. (10+2), New Delhi

Our Greatest Natural Resource is the Minds of Our Children

ONE OF THE
BEST LEADING
SCHOOLS IN
BIHAR

Online
Registration
& Admission
open



SCHOOL FACILITIES

- Smart Classes
- Wi-Fi Campus
- Indoor & Outdoor Games
- Disciplined Environment
- Hostel & Day Boarding

- Swimming Pool
- Separate Labs
- Yoga Classes
- Music & Dance
- Infirmary & Girls Common Room



- Campus under CCTV Surveillance
- Transport Facility (All over Patna)
- Remedial Classes for Slow Learner
- Preparation for NEET, JEE & other competitive exams



डॉ. अनिल सुलभ
अध्यक्ष सह-निदेशक प्रमुख

ADMISSION OPEN: Rs. 15000/- only for Nursery to IX, Rs. 25000/- for Class XI including 1 month Fee

CONTACT US FOR ENQUIRY & REGISTRATION 7488412808, 9241939993, 9264459295 | www.patliputravidyapeeth.com

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

आन बसो वृंदावन

॥ श्री राधे राधे ॥

सबका सुंदर सपना घर हो अपना

MVG Builders & Developers (P) Ltd.

Registered with Ministry of Corporate Affairs,
Govt. of India.

brings you a golden opportunity to own a
Land at Holy Place Vrindavan!



Launching of Vrindavan Dham Part-2 Residential Plots

**5 YEAR
BUY BACK
GUARANTEE**

**₹11,000 / Gaj
REGISTRY FREE
FOR FIRST 10 ENTRIES**

For Booking & Details, Contact:

+ 91-70115 21595, 98011 11138

258, 1st Floor, Hari Nagar, Ashram, New Delhi - 110014

Jai Guruji



DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL

Affiliated to CBSE - (No. 2132580)
KP- III, GREATER NOIDA

REGISTRATIONS & ADMISSIONS OPEN

CLASS - XI

- ✔ SCIENCE
- ✔ COMMERCE
- ✔ HUMANITIES

PRE NURSERY TO IX

**SESSION
2026-27**



- ▶ Blended Learning in sync with New Education Policy 2020
 - ▶ Air Conditioned & Technology Aided Classrooms.
 - ▶ Personalised follow up & differential learning
 - ▶ GPS enabled AC transport ▶ State of the art facilities- Science, Math & Computer Labs, Music and Dance Studios.
 - ▶ Outdoor & Indoor sports facilities Cricket, Football, Volleyball, Martial Arts, Skating, Table Tennis, Swimming, Shooting, Taekwondo, NCC & Lawn Tennis.

SCHOLARSHIP FOR MERITORIOUS / SPORTS / PERFORMING ARTS STUDENTS

**50% off on
ADMISSION FEE**
Till 15th April 2026



ADMISSION CUM SCHOLARSHIP TEST 2026 **OFFLINE** FOR CLASSES I TO IX & XI

EVERY SUNDAY (JANUARY - APRIL)

Time - 11 am to 12 Noon | Venue - School Campus

Scan me for Registration



9911673386, 9818449511, 9599272761

**12/2, Knowledge Park -III,
Near Gurudwara, Greater Noida**

www.dwpsgrnoida.com

admission@dwpsgrnoida.com

follow us on   

Vidhi Vimarsh | March-April 2026